

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू, पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गणट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 11 अगस्त, 2005

श्रावण 20, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1032 / सात-वि-1—1(क)-25-2005 लखनऊ, 11 अगस्त, 2005

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पर दिनांक 10 अगस्त, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2005) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य में आपदा के प्रभावी प्रबन्ध की व्यवस्था करने, आपदा के प्रभावों को कम करने, आपदाओं के घटित होने के दौरान तथा बाद में आपात राहत का प्रबन्ध करने, उसे सुसाध्य बनाने, उसका समन्वय करने और अनुश्रवण करने का प्रबन्ध और आपदाओं के परिणाम स्वरूप पुनर्निर्माण और पुनर्वास के उपायों को लागू करने, उसका अनुश्रवण करने तथा समन्वय करने के लिए और इन प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए और अन्य अभिकरणों को विनिर्दिष्ट करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम, 2005 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ परिभाषाएं

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

- (क) 'प्रभावित क्षेत्र' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है, जो धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन इस रूप में घोषित हो;
- (ख) 'प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से है;
- (ग) 'क्षमता निर्माण' का तात्पर्य किसी आपदा से निपटने की क्षमता निर्मित करने से है और जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :--
 - (एक) किसी आपदा से सुसंगत विद्यमान संसाधनों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्जित किये जाने वाले संसाधनों की पहचान ;
 - (दो) संसाधनों का अर्जन एवं सृजन, स्थानीय समुदाय में जनसमूह का संगठन एवं प्रशिक्षण ;

(तीन) ऐसे प्रशिक्षण का समन्वय

- (घ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है ;
- (ङ) 'मुख्य कार्यपालक अधिकारी' का तात्पर्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से हैं ;
- (च) 'आयुक्त' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन नियुक्त राज्य राहत आयुक्त से. है ;
- (छ) 'आपदा' का तात्पर्य राज्य के किसी भाग में प्राकृतिक या अन्यथा घटित होने वाली ऐसी वास्तविक या आसन्न घटना, संकट, आपदा, घोर विपस्ति, अनर्थ, दुर्भाग्य, अभाग्य या विनाश से है जिससे निम्नलिखित कारित होता हो या कारित होने की आशंका हो :--
 - (एक) स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्ति की व्यापक क्षति या नुकसान या
 - (दो) मानव जीवन की व्यापक हानि या मानवों की क्षति या बीमारी या
 - (तीन) पर्यावरण की क्षिति या उसका हास और उपखण्ड (एक) से (तीन) में विनिर्दिष्ट कोई प्रभाव ऐसा हो, जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करते हुए सामना करना प्रभावित जनसमुदाय की क्षमता से परे हो और जनसमुदाय की सामान्य कार्यप्रणाली को विच्छिन्न करता हो ;
- (ज) 'आपदा प्रबन्ध' का तात्पर्य निम्नलिखित दृष्टि से नियोजन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया तथा उसके उपायों के क्रियान्वयन से है :--
 - (एक) आपदाओं के जोखिम में न्यूनीकरण या कमी करना
 - (दो) आपदाओं की कठोरता या परिणाम में कमी करना;
 - (तीन) क्षमता निर्माण;
 - (चार) आपात तैयारी;
 - (पांच) आपदाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना;
 - (छ:) आपात राहत और बचाव उपलब्ध कराना ; और
 - (सात) आपदा के बाद पुनर्वास का पुनर्निर्माण

- (झ) 'आपात तैयारी' का तात्पर्य तैयारी की उस स्थिति से है, जो आसन्न या वास्तविक आपदा या आपदा के प्रभावों से निपटने हेतु राहत को गतिशील करने, संचालित करने और उपबंधित करने के लिए स्टेकहोल्डरों को समर्थ बनाती है;
 - (ञ) 'सदस्य' का तात्पर्य प्राधिकरण के किसी सदस्य से है:
- (ट) 'शमन' का तात्पर्य किसी आपदा के समाघात या प्रभावों को कम करने के लिए लक्षित उपायों से है ;
- (ठ) 'निवारण' का तात्पर्य उन उपायों से है, जिनका लक्ष्य किसी आपदा के घटित होने को रोकने से है:
- (ड) 'पुनर्निर्माण' का तात्पर्य किसी आपदा के पश्चात जिम्मेदारी में ली गयी किसी सम्पत्ति के मरम्मत और निर्माण से है ;
- (ढ) 'विनियमों' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है:
- (ण) 'पुनर्वास' का तात्पर्य ऐसी किसी क्रियाकलाप से है जिसका उद्देश्य किसी आपदा के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों में प्रसामान्यता बहाल करना है;
- (त) 'राहत' का तात्पर्य आपदा के कारण हुई किसी यातना, पीड़ा, क्षिति या आपित या किठनाई को कम करने या उनका निराकरण करने के लिए आपदा के दौरान या उसके तत्काल पश्चात किये गये उपायों से है;
 - (थ) 'स्टेकहोल्डर' के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
 - (एक) राज्य सरकार
 - (दो) कोई कानूनी कृत्यकारी
 - (तीन) स्वैच्छिक अभिकरण जिसमें विदेशी स्वैच्छिक अभिकरण सम्मिलितं हैं: और
 - (चार) ऐसे प्राधिकरण द्वारा परिलक्षित कोई अन्य व्यक्ति जो आपदा प्रवन्ध से संबंधित क्रियाकलाणें में किसी रीति से सहभागिता करता हो।

अध्याय-दो

आपदा प्रबन्ध के लिए प्राधिकरण

3—इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे. अर्थात :--

आपदा प्रवन्ध के लिए प्राधिकरण

- (क) राज्य सरकार
- (ख) उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण
- (ग) सरकारी विभागों के प्रमुख
- (घ) आयुक्त
- (ड.) किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट
- (च) स्थानीय प्राधिकारी
- (छ) प्राधिकरंण द्वारा प्राधिकृत कोई अभिकरण, संघटन या निकाय।

अध्याय - तीन

राज्य सरकार के कृत्य

राज्य सरकार के कृत्य

- 4-(1) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि धारा 3 में विनिर्दिष्ट समस्त प्राधिकारी और स्टेकहोल्डर ऐसे समस्त उपाय करेंगे, जो किसी आपदा का प्रवन्ध करने और उसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजन से आवश्यक और समीचीन हों।
- (2) विशेषरूप से और उपधारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हो सकते हैं, अर्थात :--
 - (क) यह सुनिश्चित करना कि समुचित नीतियां और मार्गदर्शन विकसित की गयी हैं;
 - (ख) संकट प्रबंध समूह नामक कोई समूह और ऐसी अन्य इकाइयां, जो आवश्यक हों, स्थापित करना और ऐसा समूह या इकाई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हों ;
 - (ग) यह सुनिश्चित करना कि राज्य प्रशासन और स्थानीय प्राधिकारी अपने क्रियाकलापों के नियोजन के दौरान प्राधिकरंण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन पर विचार करेंगे;
 - (घ) यह सुनिश्चित करना कि व्यापक संचार और प्रौद्योगिकी प्रणाली स्थापित है और अनुरक्षित है;
 - ्(ङ) आपदा प्रबन्ध के संबंध में आपदा सामग्री, उपस्कर और सेवा प्रबन्ध और संबंधित प्रापण को सुसाध्य बनाना और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना ;
 - (च) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्धन योजनाएं तैयार की जाती है और आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण दिया जाता है ;
 - (छ) पर्याप्त जोखित अन्तरण, जोखिम अंश और लागत अंश के क्रियाविधियों को प्रोत्साहित करना ;
 - (ज) यह सुनिश्चित करना कि आपदा प्रबन्ध के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं :
 - (झ) समुचित प्रत्युद्धरण के उपायों को सुनिश्चित करना ; और
 - (ञ) ऐसे उपाय करना और ऐसे दिशा निर्देश जारी करना जो आपदा वृद्धि को रोकने के लिए या नियंत्रित करने या उनमें कमी करने के लिए आवश्यक हों।
- (3) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शिक्तयों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन करके किसी आपदा से उद्भूत होने वाली किसी आसन्न क्षिति को रोकने या इसके प्रभावों को कम करने के प्रयोजन से किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को लिखित निर्देश जारी कर सकती है और ऐसा व्यक्ति या प्राधिकरण ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।
- (4) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का निष्पादन करके किसी कार्यपालक आदेश के प्रवर्तन को निलम्बित कर सकती है, यदि ऐसे आदेश से आपदा का सामना करने में कोई आवश्यक कार्यवाही अवरुद्ध होती हो या उसमें व्यवधान पड़ता हो या विलम्ब होता हो।

अध्याय - चार

राज्य सरकार के विभागों के कृत्य

5-(1) राज्य के सरकारी विभाग -

राज्य सरकार के विभागों के कृत्य

- (क) संचार केन्द्र स्थापित करने, आकस्मिक योजना बनाने, क्षमता निर्माण, आंकड़ा सग्रह, कार्मिकों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षित करने में प्राधिकरण, आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय प्राधिकारी को सहायता उपलब्ध करायेंगे;
 - (ख) आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में राहत कार्य सम्पादित करेंगे;
- (ग) क्षति का मूल्यांकन करेंगे और प्राधिकरण द्वारा बनाये गये दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण और पुनर्वास क्रियांकलापों को सम्पादित करेंगे; और
- (घ) ऐसे उपाय करेंगे और प्राधिकरण, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता की व्यवस्था करेंगे जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों।
- (2) प्राधिकरण के पर्यवेक्षण के अधीन सरकार का प्रत्येक विभाग -
- (क) निम्नलिखित को उल्लिखित करते हुए आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा:-
 - (एक) रीति, जिसमें आपदा प्रबन्ध की अवधारणा और उसके सिद्धान्त लागू होंगे;
 - (दो) राज्य आपदा प्रबन्ध के संबंध में भूमिका एवं उत्तरदायित्वः
 - (तीन) आपात राहत और आपदा के पश्चात प्रत्युद्धरण और पुनर्वास वे संबंध में विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व;
 - (चार) विभागों की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने कि क्षमता ;
 - (पांच) आपदा प्रबन्ध से संबंधित युक्तियों की विशिष्टियां, और
 - (छः) आपदा की स्थिति में युक्तियों को वित्त पोषित करने के उपायों सहित युक्तियां और प्रक्रियाएं,
- (ख) अन्य विभागों, स्थानीय प्राधिकरणों, समुदायों और स्टेकहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके क्रियान्वयन में समन्वय करना
 - (ग) योजना का नियमित पुनरीक्षण करना और उसे अद्यतन करना : तथा
- (घ) प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध योजना तथा उससे संबंधित कोई संशोधन प्रस्तुत करना।

अध्याय-पांच

प्राधिकरण की स्थापना एवं उसका निगमन

6--(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना, ऐसे दिनांक से करेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये। प्राधिकरण की स्थापना एवं उसका निगभन

(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।

- (3) प्राधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
- (4) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से प्रदेश में या प्रदेश के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकता है जैसा प्राधिकरण उचित समझता है।

प्राधिकरण का गंठन

- 7—(1) प्राधिकरण में अध्यक्ष व चौदह से अनाधिक अन्य सदस्य निम्न प्रकार होंगे :—
 - (क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जो अध्यक्ष होंगे;
 - (ख) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट दो मंत्री
 - (ग) प्रदेश के मुख्य सचिव;
 - (ध) प्रमुख सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त;
 - (ङ) प्रमुख सचिव (राजस्व),
 - (च) प्रमुख सचिव (वित्त);
 - (छ) प्रमुख सचिव (गृह);
 - (ज) प्रमुख सचिव (ऊर्जा);
 - (झ) प्रमुख सचिव (नगर विकास)
 - (ञ) प्रमुख सचिव, (स्वास्थ्य);
 - (ट) अन्य कोई सचिव जिसे समय-समय पर आमेलित किया जाये;
 - (ठ) महानिदेशक, पुलिस;
 - (ड): राहत आयुक्त, जो प्राधिकरण का संयोजक / सचिव होगाः

परन्तु जब संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन की गयी कोई उद्घोषणा राज्य में प्रवृत्त हा, तो केन्द्र सरकार मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्थान पर तीन व्यक्तियों को प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ऐसी उद्घोषणा के प्रतिसंहरण या उसके प्रवर्तन में न रहने पर अपने पद छोड़ देंगे।

(2) प्राधिकरण के सदस्य राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे, जो विहित किया जाये।

प्राधिकरण की बठक

- 8—(1) प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी और उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसी बैठकों में (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों का कारम भी है) कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा विनियमों हारा उपबन्धिते किया जाये।
- (2) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, यदि वह बैठक करने के नियत समय पर उपस्थित हो, और यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो वरिष्ठ मंत्री द्वारा की जायेगी या उसकी अनुपस्थिति में अन्य मंत्री द्वारा की जायेगी और मंत्रियों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी, जिसे बैठक द्वारा उस अवसर के लिए अध्यक्ष चुना जाये।
- (3) प्राधिकरण की बैठक में सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाह। सदस्यों के मतों की बहुमत द्वारा लिया जायेगा और मतों के बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करेगा।

- (4) (क) प्रत्येक सदस्य जो प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या की जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा या व्यवस्था या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध रखता हो या हितबद्ध हो तो वह प्राधिकरण की बैठक के पूर्व या बैठक में अपने संबंध और इच्छा की प्रकृति को व्यक्त करेगा।
- (ख) कोई भी सदस्य प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से की गयी या की जाने वाली किसी संविदा या व्यवस्था पर चर्चा या मतदान में भाग नहीं लेगा, यदि वह संविदा या व्यवस्था में किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता हो या हितबद्ध ही:

परन्तु किसी सदस्य को पूर्वोक्त प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं समझा जायेगा यदि वह प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से ऐसी संविदा या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध किसी कम्पनी की समादत साधारण अंशपूंजी की कुल दो प्रतिशत से कम का शेयरधारक हो।

9—प्राधिकरण का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी:-- कार्यवाहियों को ठीक व विधिमान्य समझा जानां

- (क) उसमें किसी रिक्ति के होने अथवा उसके संविधान में किसी त्रुटि के होने के कारण, अथवा
- (ख) उसकी प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती हो।
- 10—(1) राज्य सरकार किसी भी ऐसे अधिकारी को जो सरकार के सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी नियुक्त करेगी जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी

- (2) प्राधिकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधीनक्य ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह अपने कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।
- (3) उपधारा (1) के अधान नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा वेतन एवं भत्ता पाने का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तों से शासित होगा जैसा विहित किया जाये।
- (4) उपघारा (2) के अंतर्गत नियुक्त अधिकारी तथा कर्मचारी ऐसे वेतन तथा भत्तें पाने के हकदार होंगे तथा वे सेवा की शर्तों के अधीन शासित होंगे जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये।
- (5) प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिखित रूप में निर्गत अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा सींपे जायें।
- 11-(1) राज्य सरकार किसी ऐसे अधिकारी को जो शासन के सचिव से निम्न पंक्ति का न हो, पूरे प्रदेश के लिए राज्य राहत आयुक्त नियुक्त कर सकती है।

राज्य राहत आयुक्त

- (2) राज्य राहत आयुक्त आपदा प्रबन्ध से सम्बन्धितं ऐसे कार्यों का निष्पादन करेंगे जैसा इसं अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित है।
- (3) आयुक्त ऐसा वेतन और भत्ते पाने का हकदार होगा और वह ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी विहित की जाये।

अध्याय-छ:

प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण के कतिपय कृत्य 12—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, प्राधिकरण की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वह आपदा प्रबंध की एक समाकलित एवं समन्वित व्यवस्था जिसके अन्तर्गत राज्य, स्थानीय प्राधिकरण, स्टेकहोल्डर तथा समुदाय द्वारा आपदा के निवारण एवं शमन की व्यवस्था भी है, को प्रोत्साहित करे।

(2). प्राधिकरण,—

- (क) आपदा प्रबंध और आपदा क बाद पुनर्निर्माण पुनर्वास, मूल्यांकन व निर्धारण के लिए एक केन्द्रीय योजना समन्वयन और अनुश्रवण इकाई के रूप में कार्य करेगा
- (खं) आपातकालीन राहत से संबंधित नीति निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करेगा, इस बात के होते हुए भी आपातकालीन राहत का क्रियान्वयन सरकार के राजस्व विभाग एवं अन्य विभागों की जिम्मेदारी होगी
- (ग) आपदा प्रबन्ध की प्रगति एवं समस्याओं से राज्य सरकार एवं सरकार के विभागों को सूचित करेगा ;
- (घ) आपदा प्रबन्ध, आपातकालीन योजना एवं प्रतिक्रिया के संबंध में सामान्य शिक्षा एवं जागरूकता को विकसित करेगा:
 - (ङ) और उससे आनुषंगिक विषयों का कार्य करेगा।
- (3) प्राधिकरण की आवश्यकतानुसार राज्य सरकार, मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी एवं राज्य के स्थानीय प्राधिकरण अपनी सहायता एवं सहयोग प्राधिकरण को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु देंगे।

आंकड़ों का संग्रहण

- 13-(1) प्राधिकरण आपदा तथा आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने व करवाने की उचित कार्यवाही करेगा एवं इन आंकड़ों का विश्लेषण करेगा और उन घटनाओं के मुख्य प्रभावों के संबंध में शोध एवं अध्ययन करेगा जो किसी आपदा का रूप ले सकती हैं।
- (2) प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति से उसे लिखित नोटिस देकर उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए उपयोगी कोई भी जानकारी नोटिस में वर्णित समय सीमा के भीतर देने की अपेक्षा कर सकता है।
- (3) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा ि उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना का प्रयोग केवल इस अधि।नयम के कार्यों के निष्पादन हेतु ही किया जाय अन्यथा नहीं।

सूचना संग्रह

14—प्राधिकरण आपदा व आपदा प्रबन्ध से संबंधित समस्त जानकारियों के संग्रह का कार्य करेगा और वह :--

- (क) एक संस्था की स्थापना करेगा;
- (ख) राज्य में संचार माध्यम की स्थापना व आपातकालीन संचार तथः पूर्व चेतावनी व्यवस्था स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा;
 - (ग) आपदा प्रबन्धं कार्यों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण डाटावेस सुनिश्चित करेगा;
- (घ) भारत तथा अन्य देशों की आपदा प्रबन्ध अभिकरणों, जिनके अन्तर्गत प्राधिकरण के कृत्यों के सदृश निष्पादन करने वाली संस्थाएं भी हैं के साथ संचार माध्यम की स्थापना सुनिश्चित करेगा,
- (ड.) सूचनाओं का आदान-प्रदान करेगा और आपदा प्रबन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवीणता प्राप्त करने के लिए पहुंच बनाए रखेगा।

15—(1) प्राधिकरण आपदा प्रबन्ध योजनाएं व रणनीतियां बनाने व उन्हें अद्यावधिक बनाये रखने हेतु दिशा-निर्देश विकसित करेगा और कराएगा और राज्य के ऐसे विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों तथा व्यक्तियों को जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय योजनायें व रणनीति बनाने की तैयारी तथा समन्वय करने में सहयोग प्रदान करेगा।

आपदा प्रवन्ध योजनाएं

- (2) उपधारा (1) के अधीन योजनाओं की तैयारी के समय योजना बनाने वाला प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् योजना में उचित उपबन्ध करेगा, अर्थात् :—
 - (क) विभिन्न प्रकार की आपदायें जो घटित हो सकती हैं और उनसे होने वाला प्रभाव;
 - (ख) समुदाय व सम्पत्ति जो खतरे में हो;
 - (ग) उचित बचाव व अल्पीकरण का प्राविधान;
 - (घ) आपदाओं से निपटने की अक्षमता और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना ;
 - (ङ) आपदा के बचाव व उसके प्रमाव को कम करने की रणनीति तथा विकास योजनाओं, कार्यक्रम व राज्य में अन्य संबंधित क्रियाकलापों का समाकलन करना;
 - (च) आपदा के प्रभाव की प्रकृति और आकार निर्धारित करने का प्राविधान;
 - (छ) आपदा घटित होने पर आकस्मिक योजना जिसमें राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण की योजना सम्मिलित हो व निम्नलिखित का प्राविधान हो :--
 - (एक) विभिन्न स्टेकहोल्डरों की जिम्मेदारियों का आवंदन तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन में उन्हें समन्वय प्रदान करना,
 - (दो) आवश्यक वस्तुओं का उपाप्त करना व आवश्यक सेवायें प्रदान करना
 - (तीन) अनुकूल संचार माध्यमों की स्थापना,
 - (चार) सूचनाओं का प्रसार, तथा,
 - (पांच) अन्य मामले जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं,
 - (व) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अन्य मामले।
- (3) प्राधिकरण राज्य के लिए महायोजना तैयार करेगा या करवायेगा तथा इसका अनुरक्षण करेगा।
- 16—(1) प्राधिकरण निम्नलिखित द्वारा समुदाय एवं स्टेकहोल्डरों को जागरूकता, तैयारी, प्रशिक्षण व आवश्यक सलाह द्वारा प्रोत्साहन देगा अथवा प्रोत्साहित करायेगा ताकि इनकी किसी भी आपदा से निपटने में क्षमता का विकास हो:—

जागरूकता और तैयारी

- (अ) इस निमित्त दिशा-निर्देश एवं संस्तुतियों का प्रकाशन;
- (य) इलेक्ट्रॉनिक डाटावेस तक पहुंच की सुविधा;
- (स) समुदाय एवं स्टेकहोल्डरों में आपदा प्रबन्ध, क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना:
- (द) आपदा संवेदनशीलता को कम करने हेतु कार्यप्रणाली के विकास में सहयोग प्रदान करना:

- (य) विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और अन्य संबंधित गतिविधियों के साथ जागरूकता एवं तैयारी की कार्यप्रणाली का समायोजन; और
 - हि) किसी अन्य रीति में कार्य करना जो इस निमित्त उचित समझा जाय।
- (2) प्राधिकरण ऐसी नीतियों का निर्धारण करेगी जो जोखिम हस्तान्तरण से संबंधित है, जिसमें आपदा तैयारी का बीमा भी सम्मिलित है, जो कि वह आवश्यक समझती है तथा इसे क्रियान्वित करेगी या करवायेगी।

समुचित प्राधिकरण को की जाने वाली संस्तुतियां

- 17-(1) प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करते समय, आपदा के प्रशासन हेतु विनिर्दिष्ट किये जाने वाले मामलों को विचरण में लेने के लिए समुचित प्राधिकारी को संस्तुति कर सकता है।
- (2) प्राधिकरण इन विद्यमान कार्ययोजनाओं जो कि समुचित प्राधिकरण द्वारा बनाई गई हैं, उनका निरीक्षण कर सकता है तथा इन कार्ययोजनाओं का विश्लेषण करने के उपरान्त इसमें समुचित बदलाव हेतु अपनी संस्तुति दे सकता है जिससे कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आपदा का प्रभाव कम किया जा सके।
- (3) प्राधिकरण प्रदेश में किसी भी स्थानीय क्षेत्र में स्थित भवन या ढांचे के निर्माण की गुणवत्ता को निरीक्षण कर सकता है और जहां प्राधिकरण को यह लगता है कि इन भवनों आर ढांचों की गुणवत्ता के कारण आपदा के उपरान्त जान और किसी सम्पत्ति की क्षिति होगी, तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही करने की संस्तुति दे सकता है जो ऐसे परिणामों से बचाने के लिए विधि के अधीन आवश्यक हो।

राहत

- 18—(1) प्राधिकरण आपदा से संबंधित गतिविधियों की नीतियों के निर्धारण में राज्य सरकार को सहयोग करेगा।
- (2) जहां प्राधिकरण का यह मत हो कि आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की गई राहत पर्याप्त नहीं है, तो प्राधिकरण सरकार को अपनी संस्तुति देगी कि इन मानकों को संशोधित करे जिनका अनुपालन आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा तथा जहां आवश्यक हो बद्ध कार गहत उपायों की संस्तुति करेगा।

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण क हो की घोषणा के समापन पर प्राधिकरण, जहां आवश्यक समझे वहां सरकार के विभागों द्वारा पुनर्वास व पुनर्लिर्माण के कार्यों में सुविधा व समन्वय प्रदान करने के लिए एक अभिकरण की तरह कार्य करेगा।

अध्याय-सात

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तिया एव कृत्य

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्तियां एवं कृत्य

- 20—(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों व कृत्यों का प्रयोग और निष्पादन करेगा, अर्थात् :--
 - (क) क्षमता विकास को सम्मिलित करते हुए आपदा के बचाव एवं प्रभावों को कम करने से संबंधित क्रियाकलापों का समन्वय व अनुश्रवण करना;
 - (ख) पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण क्रियाकलापों का समन्वय तथा अनुश्रवण करनां;
 - (ग) आपदा प्रबंध योजनाओं की तैयारी की प्रगति का अनुश्रवण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वय करना;
 - (घ) प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे क्रियाकलापों की रिपोर्ट तैयार करना तथा प्राधिकरण के समक्ष नियतकालिक रूप से प्रस्तुत करना;

- (ङ) प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अधिकारों का प्रतिनिधायन करना;
- (च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और कृत्यों का निर्वहन करना, जिनका प्रतिनिधायन प्राधिकरण द्वारा किया गया हो, तथा:
- (छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा कृत्यों का निर्वहन करना जो विनियमावली में विनिर्दिष्ट की जाय।

अध्याय-आठ

राज्य राहत आयुक्त की शक्तियां तथा कृत्य

21—(1) आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत आयुक्त प्रभावित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट एवं स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों को अधिकारिता वाले प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेतु आपदा प्रबन्ध योजना के अनुसरण में निर्देशित कर सकता है। आपातकालीन राहत

- (2) निम्नलिखित प्रयोजन के लिए :-
 - (क) समुदाय का सहयोग देने एवं संरक्षण प्रदान करने;
 - (ख) समुदाय को राहत प्रदान फरने;
 - (ग) विघटन को रोकने एवं रोकथाम करने; या
 - (घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटारा के लिए आयुक्त-
 - (एक) उपलब्ध संसाधनों को निर्गत करने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकते हैं;
 - (दो) प्रभावित क्षेत्र में या इसके बाहर यातायात के आवागमन को नियंत्रित या अवरुद्ध कर सकते हैं:
 - (तीन) किसी आपदा प्रभावित क्षेत्र में प्रवेश या भ्रमण या बाहर जाने पर नियंत्रण या रोक लगा सकते हैं:
 - (चार) मलवा हटवा सकते हैं;
 - (पांच) खोज एवं बचाव अभियान चला सकते हैं;
 - (छ:) लावारिश शवों के निस्तारण की व्यवस्था कर सकते हैं;
 - (सात) रहने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं;
 - (आठ) भोजन, दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकते हैं;-
 - (नौ) आपदा से संबंधी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों की सेवायें ले सकते हैं तथा अपने निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत उपलब्ध करा सकते हैं;
 - (दस) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन जैसे और जब भी आवश्यक हो, सुख सुविधाओं का अनन्य या अधिमानी उपयोग उपाप्त कर सकते हैं;
 - (ग्यारह) ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जिन्हें विहित किया जाय कोई भी सम्पत्ति, वाहन, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का कब्जा ले सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं;

(घारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य आवंश्यक ढांचों का निर्माण कर सकरे

(तेरह) ऐसे असुरक्षित निर्माणों को नष्ट कर सकते हैं, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकते हैं;

(चौदह) यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि गैर सरकारी संगठन अपनी गतिविधियों का संचालन साम्यापूर्ण ढंग से करें;

(पन्द्रह) आपदा से निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक प्रसारित कर सकते हैं:

(सोलह) आपदा प्रभावित क्षेत्र से आबादी को जीवन रक्षा के प्रयोजन से खाली करा सकते हैं और यथा आवश्यक बल प्रयोग कर सकते हैं;

(सत्रह) यदि वह समझते हैं कि जान और माल की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है तो यदि स्वामी या अध्यासी अनुपस्थित हैं अथवा उपस्थित रहने पर ऐसे दरवाजा, द्वार या रोध को खोलने से इंकार करता है तो किसी व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश करने या किसी दरवाजा, द्वार या रोध को खोलने या खुलवाने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं।

- (3) आयुक्त किसी व्यक्ति या सरकारी अभिकरण को ऐसे निर्देश जारी कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है, जो आपदा के उतार-चढ़ाव को कम करने अथवा आपदा के प्रभावों को न्यून करने, रोकने और कम करने के लिए आवश्यक हों।
- (4) आयुक्त राहत उपलब्ध कराने के लिए किय़े गये अपने सामान्य कार्यवाहियों की जानकारी प्राधिकरण को देंगे और विशेषतः जो कार्रवाई उपधारा (1) से (3) के अधीन की गई हो।

आयुक्त के अन्य कृत्य

22—(1) आयुक्त,--

ਵੇਂ;

- (क) प्राधिकरण को आपदा प्रवन्ध से संबंधित विविध पक्षों की सूघनाएं देंगे, जैसे पूर्व चेतावनी और तैयारी की स्थिति;
- (ख) प्रत्येक जिलों की विशिष्ट परिस्थितियों एवं संस्थागत क्षमता में कमी और राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के परामर्श से राज्य के लिए उपयुक्त राहत क्रियान्वयन नीति विकसित करेंगे;
- (ग) राज्य स्तरीय आपातकालीन योजनाओं और दिशा-निर्देशों को तैयार करेंगे, समीक्षा करेंगे और अद्यावधिक रखेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि जिला स्तरीय योजनाएं तैयार पुनरीक्षित और अद्यावधिक की गई हैं;
- (घ) आपदा प्रबन्ध से संबंधित आकस्मिक योजनाओं का समय-समय पर पुनर्निर्धारण करेंगे;
- (ड.) यह सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रवन्ध अभ्यास नियतकालिक रूप से किये जायं;
- (च) यह सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारू है, एवं आकरिमक योजनाओं में स्थानीय संस्थाओं की अधिकतम भागीदारी है;
- (छ) ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिन्हें प्राधिकरण द्वारा प्रतिनिधानित किया जाय:

(ज़) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेंगें जिन्हें विनियमावली में विनिर्दिष्ट किया जाय।

अध्याय-नौ

जिला मजिस्टेट की शक्तियां और कत्य

- 23—(1) आपदा क दारान प्रभावित क्षेत्र क अन्तगत जिला मिजस्ट्रेट प्रभावित क्षेत्र के सरकारी विभागों एवं स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारियों को आपदा प्रबन्ध योजना के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध कराने हेत् निर्देशित कर सकता है।
 - (2) जिला मजिस्ट्रेट,÷
 - (एक) उपलब्ध संसाधनों को छोड़ने या उपयोग करने हेतु व्यवस्था कर सकेगाः
 - (दा) आपदा प्रभावित क्षेत्र के अन्तर्गत यातायात का आवागमन नियंत्रण या अवरुद्ध कर सकेगा;
 - (तीन) किसी आपदा ग्रसित क्षेत्र या भाग में प्रवेश, भ्रमण या बाहर जाने पर नियंत्रण या रोक कर सकेगा;
 - 'चार) मलवा हटा सकेगा
 - 'पांच) खोज एवं बचाव अभियान संचालित कर सकेगा;
 - 'छः) लावारिश शवों का उचितं माध्यम द्वारा निस्तारण कर सकेगा;
 - सात) रहने .की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकेगा;
 - आठ) भोजन दवाइयां व अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कर सकेगाः
 - (नौ) आपदा संबंधी विशेषज्ञों एवं सलाहकारों से उनके निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में राहत प्रदान करने की अपेक्षा कर सकेगा:
 - (दस) कोई भी सम्पत्ति, गाड़ी, उपकरण, भवन तथा संचार माध्यम का अधिग्रहण व नियंत्रण में ऐसे निबंधन एवं शर्ती पर कर सकेगा जैसा विहित किया जाय:
 - (ग्यारह) आवश्यकतानुसार विशिष्ट एवं अधिमान साधन उपलब्ध करा सकेगा
 - (बारह) अस्थायी पुलों एवं अन्य ढांचों का निर्माण करा सकेगा
 - (तेरह) असुरक्षित संरचनाओं को नष्ट करा सकेगा, जो जनता के लिए खतरनाक हो सकती हैं:
 - (चौदह) अशासकीय संगठनों के साथ समन्वय कर सकेगा तथा यह सुनिश्चित कर सकेगा कि ये इकाइयां अपनी गतिविधियों का निर्वाह सही ढंग से करती हैं:
 - (पन्द्रह) आपदा सं निपटने हेतु सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचा सकेगा;
 - (सोल्ट्र) आपदा प्रभावित क्षेत्र से पूर्ण या आंशिक आवादी को निर्देशित व बलपूर्वक जीवन रक्षा हेतु अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकेगा व अगर आवश्यक हो तो बल प्रयोग कर सकेगा

(सत्रह) किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है कि वह किसी भी स्थान में जा सकता है अथवा कोई भी दरवाजा, गेट या अन्य वैरियर खोल सकता है या खुलवा सकता है या अगर उस स्थान का मालिक या रहने वाला उपस्थित नहीं है अथवा दरवाजा, गेट या बैरियर खोलने से मना कर रहा है यदि वह यह समझता है यह जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

- (3) जिला मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का उस सीमा तक प्रयोग कर सकता है जहां तक यह निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो :--
 - (क) समुदाय का सहयोग एवं रक्षा करना
 - (ख) समुदाय को राहत प्रदान करना ;
 - (ग) विघटन को रोकना एवं मुकाबला करना
 - (घ) आपदा के विनाशकारी व अन्य प्रभावों से निपटना।

24-(1) जिला मजिस्ट्रेट,-

- (क) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा से बचाव अथवा उसके प्रभावों में कमी लाना अथवा उसके प्रभावों से निपटने हेतु तैयारी, सभी किये गए ऐसा दिशा-निर्देशों के अनुसार हों, जैसा विहित किया जाए ;
- (खं) जिला मजिस्ट्रेट प्राधिकरण को आपदा प्रबन्ध संबंधी योगदान देंगे, जैसे कि पूर्व चेतावनी व तैयारी की स्थिति ;
- (ग) सुनिश्चित करेंगे कि जिले के समस्त कर्मियों को आपदा से निपटने की विशेष जानकारी हासिल करें
- (घ), सुनिश्चित करेंगे कि जिले को आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना तैयार की जाय, आवश्यकतानुसार संशोधित हो तथा समय-समय पर अद्यतन की जाय;
- (ङ) स्थानीय सरकारी निकायों को सहयोग एव समन्वय प्रदान करेंगे ताकि जिले में आपदा से पूर्व व आपदा प्रबन्ध गतिविधियों का निर्वहन किया जा सके
- (च) स्थानीय प्रशासनं, भैर सरकारी संगठना व निजी क्षेत्र के सहयोग से समुदाय को प्रशिक्षित करना, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना व आपातकालीन सुविधाओं की स्थापना करेंगे
 - (छ) आपदा प्रबन्ध के क्षेत्र में अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करेंगे
- (ज) आपातकांलीन योजनाओं, आकस्मिक योजनाओं व दिशा—निर्देशों का पुनरावलोकन करेंगे;
- (झ) सुनिश्चित करेंगे कि जिले में स्थित स्थानीय प्राधिकारी स्वयं अपने घंचाव की रणनीति तैयार करें
- (ञ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रवन्ध गतिविधियों तथा योजनाओं के वीच संबंध बने :
 - (ट) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारू रहे ;
- (ठ) सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन उपकरण व आपदा प्रबन्ध से संबंधित अन्य उपकरण का रख-रखाव ऐसा हो कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके:
 - (ड) जिले में पुनवींस व पुनर्निर्माण की गतिविधियों का समन्वय करेंगे।

- (ढ) सुनिश्चित करेंगे कि आपदा प्रयन्ध का नियतकालिक अभ्यास किया जासा है
- (ण) पुननिर्माण एवं पुनर्वास के लिए प्रगति तथा उसके परिणामों के अनुश्रवण में प्राधिकरण की सहायता करेंगे
- (त) ऐसी शक्तियों का प्रयोग व ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो राज्य सरकार, प्राधिकरण व मण्डलायुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किया गया हो ;
- (थ) इसके आंतरिक्त उन सभी शक्तियों का प्रयोग एवं कायों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

अध्याय-दस

स्थानीय पाधिकारी के कृत्य

25—(1) आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी. ऐसे निर्वेशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी प्राधिकरण दें और जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन —

- (क) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट को सहायता करेगा;
- (ख) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारीवन्द प्रशिक्षित हैं:
- (ग) सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबन्ध से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार से अनुरक्षण किया जाय कि वे उपयोग के लिए तैयार हों;
- (घ) सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय क्षेत्र में समस्त भवनों और अन्य सरचनाओं को सरकार के विभागों और प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त निर्धारित विनिर्देश के अनुसार पुरा किया जाना है:
- (ड.) मण्डलायुक्त के निदेशों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य चलायेगा;
- (च) प्राधिकरण द्वारा दिये गये दिशा—निर्देशों के अनुसार पुनर्निर्माण और पुनर्वास क्रियाकलाओं को चलायेगा;
 - (छ) निम्नलिखित के लिये एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा, अर्धात् :--
 - (एक) स्थानीय क्षेत्र में लागू किये जाने वाले आपदा प्रबन्ध की संकल्पना और सिद्धांतों की रीति;
 - (दो) राज्य की आंपदा प्रबन्ध योजना के संबंध में स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका और दायित्व;
 - (तीन) भूमिका और दायित्व को पूरा करने की स्थानीय प्राधिकारी की क्षमता;
 - (चार) आपदा प्रबन्ध रणनीति की विशिष्टिया;
 - (पांच) किसी आपदा की स्थिति में, आकस्मिक रणनीति और आपात प्रक्रियायें जिसके अन्तर्गत रणनीति को वित्तपोषित करना भी है;
- (जं) राज्य के संगठनों और स्टेकहोल्डरों के साथ योजना की तैयारी और उसके कार्यान्वयन क्, समन्वयं करना;
 - (झ) योजना का नियमित पुनरावलोकन और उसको अद्यतन करना;
 - अापदा प्रबन्ध को समय-समय पर संचालित करना; और

- (ट) प्राधिकरण, मण्डलागुवत और जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी सहायता उपलब्ध कराना और ऐसे अन्य कदम उठाना जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हो।
- (2) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित अपने आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किये गये संशोधन की प्रति प्रस्तुत करेगा।
- 28-(1) जिले में सरकार के प्रत्येक विभाग जिले के लिये एक आपदा प्रवन्ध योजना तैयार करेगा और जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी योजना सम्पूर्ण जिले के लिये आपदा प्रवन्ध योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।
 - (2) सरकार के विभाग, उपधारा (1) के अधीन योजना तैयार करते समय, -
 - (कं) आपदा जो जिले में घटित हो सकती हैं. के प्रकारों और उसके संभाषित प्रभावों का पूर्वानुमान करेगा;
 - (ख) खतरे में आने वाले समुदायों और सम्पत्तियों को चिन्हित करेगा;
 - (ग) समुचित रोकथाम और कमी करने के लिए रणनीति व्यवस्था करेगा;
 - (घ) सम्भावित आपदाओं से निपटने की अक्षमता की पहचाने करमा और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करेगा;
 - (ङ) अधिकतम आपात तैयारी को बनायेगा: और
 - (च) किसी आपदा के घटित होने पर आक्रस्मिक योजनाओं और विहित आपात प्रक्रियाओं को, जिसमें निम्नलिखित की व्यवस्था हो रखेगा—
 - (एक) विभिन्न स्टेकहोल्डरों के दायित्वों का आवंटन करना और उनके दायित्वों के निर्वहन का समन्वय करना
 - (दो) आपदा प्रतिक्रियाओं और राहत में तत्परताः
 - (तीन) आवश्यक वस्तुओं का प्रापण और आवश्यक सेवायें प्रदान करना;
 - (घार) युक्तिपूर्ण सचार व्यवस्था को स्थापित करना;
 - (पाच) सूचनाओं का प्रसार करना और
 - (छः) ऐसे अन्य मामलें, जैसा विनियमों में उपबन्धित हों. और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपेक्षित हों;
 - (3) जिले में सरकार का कोई भी विभाग जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवक्षण में,--
 - (क) एक आपदा प्रबन्ध योजना तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :--
 - (एक) ऐसी रीति जिससे आपदा प्रबन्ध की संकल्पना और सिद्धांतों जिसे जिले में लागू किया जायेगा;
 - (दो) राज्य के आपदा प्रबन्ध योजना की शर्तों के अनुसार सरकारी विभाग की भूमिका और उसके दायित्व:
 - (तीन) आपात राहत और आपदा के पश्चात पुनरूत्थान और पुनर्वास के संबंध में सरकारी विभाग की भूमिका और उसके दायित्व;
 - (चार) सरकारी विभाग की अपने भूमिकाओं और दायित्वों को पूरा करने की. क्षमता

(पांच) आपदा प्रबन्ध की रणनीतियों का विवरण; और

- (छः) आपदा के घटित होने की दशा में आर्कास्नक युक्तियां और आपात प्रक्रियाएं जिसके अन्तर्गत युक्ति को वित्त पोषित करने के उपाय भी हैं:
- (ख) राज्य के अन्य संगठनों, समुदायों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ अपनी योजना की तैयारी, कार्यान्वयन का समन्वयन करना;
 - (ग) योजना का नियमित पुनरावलोकन और अद्ययतन करना;
- (घ) अपने आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किसी संशोधन की प्रति उप मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करना;
- (4) जिला मजिस्ट्रेट, जिले की आपदा प्रबन्ध योजना और उसमें किसी संशोधन की प्रति प्राधिकरण और मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेगा।
- (5) सरकार का प्रत्येक विभाग, इस निमित्त तैयार की गयी अपनी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

अध्याय- ग्यारह

पुलिस बल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवाओं के कर्तव्य

- 27—(1) जहाँ धारा 32 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन कोई क्षेत्र प्रमावित क्षेत्र घोषित किया जाता है वहाँ,--
 - (क) पुलिस बल के सदस्य,
 - (ख) हीमगार्ड के सदस्य,
 - (ग) नागरिक सुरक्षा के सदस्य और,
 - (घ) अग्निशमन सेवाओं के सदस्य,

मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेंगे, अर्थात्:--

- (एक) चेतावनी देना
- (दो) तलाशी एवं बचाव अभियान चलाना, तथा
- (तीन) राहत एवं पुनर्वास अभियान चलाना।
- (2) यदि किसी क्षेत्र में आपदा घटित होती है तो ऐसे क्षेत्र के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट संगठनों के सदस्य, स्थानीय प्राधिकारी और सरकारी विभागों में से वरिष्ठतम अधिकारी जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देषों के अनुसार आपातकालीन राहत उपलब्ध करायेंगे।
- (3) राज्य में सूरकार के विभाग आपदा प्रवन्ध योजना में विनिर्दिष्ट कृत्यों को जिलाधिकारी के निर्देशन में करेंगे तथा विशेष रूप से
 - (क) सुनिश्चित करेंगे कि संचार व्यवस्था सुचारू रहे जिसे किसी आपदा से सम्बन्धित सूचनाओं के आदान प्रदान में उपयोग किये जाने के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा;
 - (ख) स्थानीय कार्मिकों को चिन्हित करेंगे तथा आपदा प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करायेंगे जिससे ऐसे कार्मिकों की सेवायें समय पर उपलब्ध रहे;

- (ग) आपदा प्रबन्ध ड्रिल का समय-समय पर करायेंगे; तथा
- (घ) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की सहायता करेंगे तथा आपदा प्रबन्ध के लिए यथा आवश्यक कदम उठायेंगे।

अध्याय-बारह

समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य अभिकरणों या व्यक्तियों के कर्तव्य

28—प्रत्येक समुदाय समूह व प्रत्येक युवा संगठन यथा राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना व नेहरू युवा केन्द्र निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:--

- (क) सभी आपदा प्रबन्ध गतिविधियों में राज्य सरकार, मण्डलायुक्त और जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करना;
- (ख) क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम व प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेना;
- (ग) मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों में सहायता करना;
- (घ) क्षति के विस्तृत मूल्यांकन में सहायता करना व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निमाण व पुनर्वास के क्रियाकलापों को चलाना; तथा
- (ङ) प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी की सहायता करना तथा आपदा प्रबन्ध के लिए यथा आवश्यक कदम उठाना।
- 29--(1) कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन परिभाषित प्रत्येक कारखाना :--
- (क) राज्य सरकार, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सभी आपदा प्रबन्ध सम्बन्धी क्रियाकलापों में सुहयोग प्रदान करेंगे;
 - (ख) सुनिश्चित करेंगे कि उनके कर्मी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं;
 - (ग) सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवश्यक संसाधन उपयोग हेतु हैं;
- (घ) सुनिश्चित करेंगे कि इसके भवन और अन्य निर्माण सरकार के विभागों व प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध विनिर्दिष्ट के अनुसार हैं;
- (ङ) मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों का संचालन करेंगे:
- (च) क्षति के मूल्यांकन में सहयोग देंगे और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निमाण व पुनर्वास क्रियाकलापों को चलायेंगे;
- (छ) आपदा प्रबन्ध योजना को स्थानीय प्राधिकारी व राज्य सरकार के अन्य आपदा प्रबन्ध योजनाओं के अनुरूप प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेंगे;
- (ज) अन्य सभी कदन एठायेंगे और प्राव्यिकरण, मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी को स्वत्यक्ता करेंगे तथा अन्य ऐसे धरम एउग्येंगे जो आपदा प्रबन्ध के लिए अस्टबन होते

प्रमाण आर.): असमे इत्या तम विवेदात तमही य**ई योजनाओं** हो असकी विकासकाम स्वविद्यासम्बद्धित होता।

- (3) प्रत्येक निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सहायता प्रदान करेंगी तथा ऐसे अन्य कदम उठायेंगी जो आपदा प्रबन्ध के लिए आवश्यक हों।
- 30. समस्त स्वैष्ठिक अभिकरण जिसमें स्वयंसेवी संगठन सम्मिलित हैं, जो आपदा प्रबन्ध गतिविधियों में भाग लेने की इच्छुक हैं, वे :—
 - (क) क्षमता निर्माण, संवेदनशीलता कम करने के कार्यक्रम व प्रशिक्षण क्रियाकलापों में भाग ले सकती हैं;
 - (ख) सरकार, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में राहत कार्यों में सहायता प्रदान कर सकती हैं;
 - (ग) क्षति के मूल्यांकन में और प्राधिकरण द्वारा विरचित्र दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निमाण व पुर्नवास क्रियाकलापों में भाग ले सकती हैं; तथा
 - (घ) प्रभावी आपदा प्रबन्ध के लिए यथा आवश्यक प्राधिकरण, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी को सहायता कर सकती हैं।
- 31. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी या ऐसे अन्य कोई व्यक्ति जिसे आपदा प्रबन्ध की जिम्मेदारी दी गई हो अथवा उसमें लगाया गया हो, जब कभी भी, सामान्तया आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन से और विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों से उसकी सहायता की आवश्यकता पड़े, सहायता करें —
 - (क) निवारण,
 - (ख) प्रतिक्रिया,
 - (ग) चेतावनी,
 - (घ) आपातकालीन अभियान, तथा
 - (ङ) प्रत्युद्धरण,।

अध्याय- तेरह

किसी क्षेत्र को आपदा उन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करना

- 32. (1) जहां कहीं भी आपदा के घटित होने की आशंका हो या आपदा घटित हुई हो:-
 - (क) यदि एक से अधिक जिले के क्षेत्र में हो तो मण्डलायुक्त ; और
 - (ख) यदि एक जिले तक सीमित क्षेत्र में हो तो जिलाधिकारी ;

तुरन्त इस आशय की एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

- (2) (क) यदि राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन मण्डलायुक्त अथवा जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विचार रखती है कि राज्य के किसी क्षेत्र में आपदा घटित होने का खतरा है अथवा आपदा घटित हो गयी है और ऐसी आपदा के निवारण के लिए अथवा उत्तके प्रभाव से निपटने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना समीचीन है तो वह गजट में और किसी एक या अधिक ऐसे समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा जिसका एस क्षेत्र का व्यापक प्रसार हो, उस क्षेत्र को आपदा उन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी जिसे इस घारा में "प्रमावित क्षेत्र" निर्दिष्ट किया गया है :
- (खं) राज्य सरकार खण्ड (क) के अक्षीन घोषणा व दारने का विभिन्नचट करती है वह एड आयुक्त अथका जिलाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, वर्र तयनुसार सुचित करें
- (३) किसी भी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपयात (2) के २०१० एकी दी वर्गी की गुल्या त प्रमुद्ध दिन से अमधिक को अवधि विनिर्दित्व की जायेगी तथा ता अर्थाद त हुए क्ष्मीत क्या ह प्रमोतनार्थ एक क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र माना एकामा :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसी अवधि को समय-समय पर किसी एक समय रे पन्द्रह दिन से अनिधक की अविध के लिए बढ़ा सकती है यदि राज्य सरकार की, यथास्थिति मण्डलायुक्त या जिलाधिकारी द्वारा इस निमित्त की गयी रिपोर्ट के आधार पर यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है।

- (4) ऐसी अवधि के दौरान जब कोई क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र हो--
- (क) प्राधिकरण ऐसे क्षेत्र में निम्नलिखित से संबंधित कार्यों का निष्पादन करेग या करवायेगा:—
 - (एक) आपदा का निवारंण ;
 - (दो) (क) आपदा के प्रभावों को कम करना,
 - (ख) आपातकालीन राहत का सुगमीकरण, समन्वय एवं अनुश्रवण,
- (ग) पुनर्निमाण तथा पुनर्वास का अनुश्रवण एवं समन्वय करना, और ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन विहित हों या उपर्युक्त कृत्यों के अनुपूरक, आनुषंगी या परिणामी हों।
- (ख) जहाँ प्रभावित क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हो तो आयुक्त और जहाँ प्रभावित क्षेत्र जिले तक सीमित हो तो जिलाधिकारी आपदा प्रबन्ध से संबंधित ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर आरोपित हैं।
- (5) (क) जहाँ आयुक्त अथवा जिलाधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट करता है जहाँ वह रिपोर्ट करने के समय से इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन आवश्यक कृत्यों का निष्पादन प्रारम्भ करेगा तथा
 - (ख) वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट कृत्यों का निष्पादन नहीं करेगा-
 - (1) जहाँ कोई क्षेत्र उपघारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अविध के लिए उपघारा (2) के खण्ड (क) के अधीन प्रभावित क्षेत्र घोषित हुआ है तो ऐसी अविध के अवसान पर, या
 - (2) जहां उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन समय-समय पर ऐसी अवधि बढ़ायी गयी हो तो अंतिम बार बढ़ाई गयी अवधि के बीत जाने पर, या
 - (3) जहां कोई क्षेत्र इस प्रकार घोषित नहीं किया गया हो वहां उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन राज्य सरकार से सूचना प्राप्त होने पर,
- (6) प्राधिकारी, आयुक्त तथा सभी अन्य प्रभावित क्षेत्र में उपधारा (5) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (1) अथवा (2) में निर्दिष्ट अविध के अवसान पर इन कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा।

अध्याय- चौदह

वित्त, लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

- 33. (1) प्राधिकरण की स्वयं की एक निधि होगी जो आपदा प्रबन्ध निधि कहलायेगी और उसमें प्राधिकरण द्वारा समस्त प्राप्तियां जमा की जायेंगी और उससे प्राधिकरण द्वारा समस्त भुगतान किये जायेंगे।
- (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा निकाय से अनुदान, आर्थिक सहायता, दान और उपहार ले सकता है।

- (3) निधि से धन का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान हेतु किया जा सकता है:-
- (एक) इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में प्राधिकरण द्वारा उपगन व्यय,
 - (दो) सदस्यों को पारिश्रमिक
- (तीन) प्राधिकरण के अधिकारियों व कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन और भत्ते,
 - (चार) अधिनियम के ऐसे अन्य प्रयोजनों हेतु व्यय जो विहित किये जायं।
- (4) (क) प्राधिकरण की निधि की समस्त धनराशि को ऐसे बैंक में जमा किया जायेगा जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे;
- (ख) जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस धनराशि का उपयोग तत्काल या आने वाले शीघ समय में नहीं होना है वहां उसका निवेश भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की धारा 20 के खण्ड (क), (ख), (खख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी में किया जा सकता है:
- (ग) कोई भी ब्याज जो कि ऐसे जमा या निवेश से अर्जित किया गया हो, निधि में जमा किया जायेगा।
- 34. राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को निष्पादित करने हेतु खुले बाजार से या अन्यथा से उधार ले सकता है।
- 35. (1) (क) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के किसी भी ऐसे दिनांक को उसे विहित किया जाए, अगले वत्तीय वर्ष हेतु विहित प्रपन्न में राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए बजट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस वित्तीय वर्ष में अनुमानित प्राप्ति व व्यय तथा राज्य सरकार से अपेक्षित धनराशि का विवरण होगा।
- (ख) यदि राज्य सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का आंशिक या पूर्ण रूप से व्यय नहीं हुआ है तो उसे अगले वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत किया जायेगा व उस वर्ष की राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि में समायोजित कर दिया जायेगा।
- (2) प्राधिकरण द्वारा या उसकी तरफ से कोई भी धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा जिसका कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदिन बजट में प्रावधान न हो।
- 36. (1) प्राधिकरण का लेखा ऐसे **प्रारूप में** और ऐसी रीति से बनाये व रखे जायेंगे जैसा विहित किया जाये।
- (2) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करायेगी विहित किया जाये।
- (3) प्राधिकरण के लेखा की लेखा परीक्षा एक योग्य लेखा परीक्षक द्वारा की जायेगी जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की घारा 226 के अन्तर्गत लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आई हो।
 - (4) उक्त लेखा परीक्षक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जोयगा।
- (5) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राधिकरण की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किये गये प्रत्येक लेखा परीक्षक का यह अधिकार होगा कि वह लेखा पुस्तकों, इससे सम्बन्धित वाउचरों व अन्य दस्तावेजों, और पत्रों की मांग कर सके, प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण कर सके और प्राधिकरण से ऐसी सूचना मांग सकता है जो वह लेखा परीक्षक के कर्तव्य के सम्पादन में आवश्यक समझते हों।

- (6) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट को यथाशीघ्र लेखा के लेखा परीक्षित प्रति के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करेगा, जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।
- (7) राज्य सरकार उपघारा (6) के अधीन प्राप्त की गयी लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवायेगा।
- 37. (1) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्रारूप में और वर्ष के ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाय :--
 - (कं) विगत वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करायेगा जिसमें उस वर्ष की समस्त गतिविधियों का पूर्ण, सत्य व उचित लेखा विवरण होगा ;
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा अगले वर्ष किये जाने वाले कार्यों का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, और ऐसे रिपोर्ट एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- (2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्ट को शीघातिशीघ राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेगी।
- (3) इसके अतिरिक्त प्राधिकरण का लेखा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लेखा परीक्षा के अध्यधीन होगा।

अध्याय- पन्द्रह

अपराघ एवं शास्तियां

38. (1) जो कोई भी :-

- (क) विना किसी युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के किसी अधिकारी को कार्य करने से रोकता है अथवा बाधा डालता है : या
- (ख) दिना किसी युक्तियुक्त कारण के इस अधिनियम के अधीन कार्यों के सम्पादन में किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के अधिकारी के निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है; या
- (ग) बिना किसी ठोस वैज्ञानिक आधार के किसी आपदा के घटित होने की पूर्वानुमान की झूठी खबर फैलाता है जिसके कारण समुदाय में दहशत पैदा हो; या
- (घ) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के या प्राधिकरण या आयुक्त या जिलाधिकारी के अधिकारी से पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए सहायता के रूप में झूठा दावा करता है; वह दोषी पाये जाने पर उसे कारावास में जो, छः माह की अवधि तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
- 39. (1) कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 38 के अन्तर्गत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा सिवाय जब सामान्यतः यह विशिष्टतः प्राधिकरण के किसी अधिकारी अथवा आयुक्त अथवा जिलाधिकारी द्वारा लिखित में शिकायत की गई हो।
- (2) दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की घारा 200 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन निर्देष्ट अपराध के सम्बन्ध में जब लिखित शिकायत पेश की जाती है तो प्राधिकरण के अधिकृत अधिकारी, आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट का परीक्षण किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

40. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किये जाने के समय प्रभारी या उनकी जिम्मेदारी, कम्पनी के कार्यों के सम्पादन हेतु तथा कम्पनी भी इस उल्लंधन के दोषी करार दिये जायेंगे तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी व दण्डित किये जायेंगे:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी भी व्यक्ति को इस उपधारा के अन्तर्गत दिण्डित नहीं किया जायेगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि यह अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है अथवा उसने इस अपराध के रोकने हेतु भरसक प्रयास किये थे।

(2) इस अधिनियम के उपधारा (1) के अधीन कम्पनी द्वारा किये गये किसी भी अपराध में यह सिद्ध होता है कि यह अपराध कम्पनी के निदेशक, प्रबन्ध, सचिव अथवा किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है, तो उनकी उपेक्षा के फलस्वरूप हुआ है, तो कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी को भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी व दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

- (क) "कम्पनी" का तात्पर्य निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन परिभाषित कोई कम्पनी या, फर्म या व्यक्तियों का समूह भी है, और
 - (ख) "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के सम्बन्ध में फर्म के साझेदार से है।

अध्याय- सोलह

विविध

- 41. (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष्ट रूप से प्राधिकृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त या जिलाधिकारी सभी युक्तियुक्त समय में किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकते हैं व ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि इस अधिनियम के अधीन उन पर आरोपित कृत्यों के विधिसम्मत निष्पादन हेतु समुचित रूप से आवश्यक हों।
- (2) इस निमित्त सामान्य या विषेष रूप में प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई अधिकारी या कर्मचारी, उचित समय में किसी भी भूमि में प्रवेश सकते हैं जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत उनपर आरोपित कार्यों के वैधानिक सम्पादन हेतु अनिवार्य हो।
- 42. (1) प्राधिकरण सामान्य या विषेष लिखित आदेश द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या अन्य किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु उन्हें अधिकृत कर सकता है जैसा कि इस आदेश में विनिर्दिष्ट हो।
- (2) प्राधिकरण सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अपने सदस्यों की एक या अधिक समितियों की गठित कर सकता है तथा इन समितियों को प्राधिकरण के ऐसे कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।
- (3) आयुक्त लिखित आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसे आरोपित ऐसे कृत्यों के सम्पादन हेतु किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जैसा आदेश में वर्णित हो।
- (4) जिलाधिकारी लिखित आदेश द्वारा किसी भी अधिकारी, जिसका स्तर अपर जिलाधिकारी से कम न हो, को इस अधिनियम के अधीन उसे आरोपित ऐसे कृत्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत कर सकता है जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

- (5) उपधारा (1), (3) व (4) के अन्तर्गत आदेश में ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसके अध्यधीन रहते हुए उसमें विनिर्दिष्ट कृत्यें। का सम्पादन किया जायेगा।
- 43. (1) इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के सम्पादन में, प्राधिकरण, नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से, जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय लिखित रूप में में दिये जायें, बाध्य होगा:

परन्तु यह कि प्राधिकरण को इस उपधारा के अधीन निर्देश दिये जाने से पूर्व अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

- (2) राज्य सरकार का विनिश्चय चाहे कोई प्रश्न, नीति का हो या नहीं, अन्तिम होगा।
- 44. (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, मण्डलायुक्त या जिला मजिस्ट्रेट कृत्यों के सम्पादन के प्रयोजनार्थ तथा कारणों का लिखित में अभिलिखित करते हुए किसी भी व्यक्ति को आदेश द्वारा प्रभावित क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कार्य को करने अथवा न करने हेतु निर्देश कर सकते हैं, जहाँ कि आपातकालीन राहत उपाय किया जा रहा हो।
 - (2) कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेशों की प्राप्ति पर उनका पालन करेगा।
- 45. इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाये गये किसी भी नियम व विनियमन के प्रयोजनों के अनुसरण में प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त तथा प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की घारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक होगें।
- 46. इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम व विनियमन या आदेशों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक किये गए या किये जाने के लिये आशियत किसी कार्य के लिये प्राधिकरण या उसके प्रत्येक सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मण्डलायुक्त तथा प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी मुकदमा, अभियोजन व अन्य कान्नी कार्यवाही नहीं की जा सकती है।
- 47. (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के सम्पादनार्थ स्वयं को समर्थ करने के लिए अधिसूचना द्वारा ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
- (2) विशेषतः तथा पूर्वगामी शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुमन्य सभी या किन्हीं विषयों की व्यवस्था के लिये जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें, विनियम बनाये जा सकते हैं।
- 48. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार गज़ट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

- (2) उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी किये गये प्रत्येक आदेश शीघातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखें जायेंगे
- 49. प्राधिकरण, उसके अधिकारी और कर्मचारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित कार्य का सम्पादन, राज्य सरकार या उसके किन्हीं अधिकारियों द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसरण में किए गये या राज्य की कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करके आपदा घटित होने से रोकने, आपदा के प्रभाव को कम करने, आपातकालिक राहत को सुगम करने, समन्वय करने और अनुश्रवण और आपदा के पश्चात राज्य में पुनिर्माण और पुनर्वास या उसके सम्बन्ध में सम्पादित कृत्यों के अतिरिक्त करेंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं।

उददेश्य और कारणं

आपदा प्रबन्ध की एक समेकित और समन्वित प्रणाली, जिसके अन्तर्गत राज्य, स्थानीय प्राधिकरणों, स्टेक होल्डरों और समुदाय द्वारा रोक थाम भी है, का विकास करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि आपदा प्रबन्ध और आपदा के पश्चात पुनर्निर्णाण, पुनर्वास, मूल्यांकन और निर्धारण के लिए केन्द्रीय योजना, समन्वय और अनुश्रवण इकाई के रूप में कार्य करने, आपातकालीन राहत से सम्बन्धित नीति निर्माण में राज्य सरकार की सहायता करने, आपदा प्रबन्ध में प्रगृति और समस्याओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार और उसके विभागों को सूचित करने और सामान्य शिक्षा, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबन्ध, आपातकालीन योजना और प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता का विकास करने के लिए एक प्राधिकारण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित एवं आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए एक विधि बनाई जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध विधेयक, 2005 पुर:स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से धर्म वीर शर्मा, प्रमुख सचिव।

No. 1032/VII-V-1-1(KA) 25-2005

Dated Lucknow, August 11, 2005

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Apda Prabandh Adhiniyam, 2005 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 2005) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 10, 2005.

THE UTTAR PRADESH DISASTER MANAGEMENT ACT, 2005

(U. P. ACT No. 20 of 2005)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

An

Act

to provide for effective management of disaster, for mitigation of effects of disaster, for administering, facilitating, coordinating and monitoring emergency relief during and after occurrence of disasters and for implementing, monitoring and coordinating measures for reconstruction and rehabilitation in the aftermath of disasters, in the State of Uttar Pradesh and for these purposes to establish the Uttar Pradesh Disaster Management Authority and to specify other agencies and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

CHAPTER I PRELIMINARY

- 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Disaster Management Act, Short title, extent and commencement
 - (2) It extends to whole of the State of Uttar Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires, -
- (a) "affected area" means the area declared as such under clause (a) of sub-section (2) of section 32;
- (b) "Authority" means the Uttar Pradesh State Disaster Management Authority established under sub-section (1) of section 6;
- (c) "capacity-building" means building of capacity to cope up with any disaster and includes
 - (i) identification of existing resources relevant to any disaster, and resources to be acquired for the purpose of this Act;
 - (ii) acquiring and creating resources, organization and training of groups in local community; and
 - (iii) coordination of such training;
 - (d) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;
- (e) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Authority;
- (f) "Commissioner" means the State Relief Commissioner appointed under section 11;
- (g) "disaster" means an actual or imminent advers unfortunate, sudden, misfortune or calamity whether natural or otherwise occurring in any part of the State which causes, or threatens to cause all or any of the following:
 - (i) widespread loss or damage to property, both immovable and movable; or
 - (ii) widespread loss of human life or injury or illness to human beings;
 - (iii) damage or degradation of environment, and any of the effects specified in sub-clauses (i) to (iii) is such as to be beyond the capacity of the affected community to cope up with using its own resources and which disrupts the normal functioning of the community;
- (h) "disaster management" means a continuous and integrated process of planning and implementation of measures with a view to:
 - (i) mitigating or reducing the risk of disasters;
 - (ii) mitigating the severity or consequence of disasters;
 - (iii) capacity-building;
 - (iv) emergency preparedness;
 - (v) assessing the effects of disasters;
 - (vi) providing emergency relief and rescue; and
 - (vii) post-disaster rehabilitation and reconstruction;
- (j) "emergency preparedness" means the state of readiness which enables stakeholders to mobilize, organize and provide relief to deal with an impending or actual disaster or the effects of a disaster;
 - (j) "member" means a member of the Authority.
- (k) "mitigation" means measures aimed at reducing the impact or effects of a disaster;
- (I) "prevention" means measures the object of which is to avoid the occurrence of a disaster;
- (m) "reconstruction" means repair and construction of a property undertaken after a disaster;
 - (n) "regulations" means the regulations made under this Act;
- (o) "rehabilitation" means any activity the objects of which is to restore normalcy in conditions caused by a disaster;

- (p) "relief" means measures taken during or immediately after a declaration of disaster to diminish, or alleviate any suffering, pain, injury or distress or hardship caused on account of the disaster;
- (q) "stakeholder" includes -
 - (I) State Government;
 - (II) any statutory functionary;
 - (III) voluntary agencies including foreign voluntary agencies; and
- (IV) any other person identified by the Authority; which participate in any manner in activities related to disaster management.

CHAPTER II

AUTHORITIES FOR DISASTER MANAGEMENT

- 3. For the purposes of carrying out the objects of this Act, the following shall be the authorities, namely:-
- Authorities for disaster management

- (a) The State Government,
- (b) The Uttar Pradesh Disaster Management Authority,
- (c) Heads of Government Departments,
- (d) Commissioner,
- (e) District Magistrate of a district,
- (f) Local authorities,
- (a) Any agency, organization or body authorized by the Authority.

CHAPTER III

FUNCTIONS OF STATE GOVERNMENT

4. (1) The State Government shall ensure that all the authorities specified in section 3 and stakeholders shall take all such measures, as are necessary or expedient for the purpose of managing a disaster and mitigating its effects.

Functions of State Government

- (2) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of subsection (1), such measures may include the following measures, namely:-
 - (a) ensuring that appropriate policies and guidelines are developed;
 - (b) establishing a group called the Crisis Management Group and such other entities as may be necessary and such group or entity shall exercise such powers and perform such functions as may be specified by the regulations;
 - (c) ensuring that the State administration and local authorities shall take into consideration the guidelines laid down by the Authority while planning its activities:
 - (d) ensuring that a comprehensive communication and technology network is established and maintained;
 - (e) facilitating procurement related to disaster management of materials, equipment and services in connection with the disaster management and ensuring their quality;
 - (f) ensuring that disaster management plans are prepared and training for managing disaster is given;
 - (g) promoting adequate risk-transfer, risk-sharing and cost-sharing mechanisms;
 - (h) ensuring that adequate funds are available for disaster management;
 - (i) ensuring appropriate recovery measures; and
 - (j) taking such steps and issuing such directions as may be necessary to prevent escalation of the disaster or to alleviate, contain or minimise the effects of disaster.

- (3) Subject to the provisions of this Act, the State Government, may in exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue a direction in writing to a person or authority for the purpose of avoiding an imminent damage arising out of a disaster or mitigation of its effects and such person or authority shall comply with such direction.
- (4) Subject to the provisions of this Act, the State Government may in exercise of its powers and performance of its functions, under this Act suspend operation of any executive order if such executive order prevents, hinders or delays any necessary action in coping with disaster.

CHAPTER IV

FUNCTIONS OF DEPARTMENTS OF THE STATE GOVERNMENT

Functions of the Departments of Government

- 5. (1) The Government departments of the State shall -
- (a) provide assistance to the Authority, Commissioner, the District Magistrate and the local authority in setting up communication centers, drawing up contingency plans, capacity building, data collection and identifying and training personnel;
- (b) carry out relief operations under the supervision of the Commissioner and the District Magistrate;
- (c) assess the damage and carry out reconstruction and rehabilitation activities in accordance with the guidelines framed by the Authority, and
- (d) take such steps and provide such assistance to the Authority, Commissioner and the District Magistrate as may be necessary for disaster management.
- (2) Every department of the Government under the supervision of the Authority shall-
 - (a) prepare a disaster management plan setting out -
 - (i) the manner in which the concept and principles of disaster management shall be applied
 - (ii) roles and responsibilities of department in respect of the state disaster management;
 - (iii) roles and responsibilities of the department in respect of emergency relief and post disaster recovery and rehabilitation;
 - (iv) capacity to fulfill roles and responsibilities of the department;
 - (v) particulars of strategies pertaining to disaster management; and
 - (vi) strategies and procedures in the event of a disaster, including measures to finance the strategies;
 - (b) co-ordinate preparation and the implementation of plan with other departments, local authorities, communities and stake holders;
 - (c) regularly review and update the plan; and
 - (d) submit to the Authority disaster management plan and any amendments thereto.

CHAPTER V

ESTABLISHMENT AND CONSTITUTION OF THE AUTHORITY

Establishment and incorporation of Authority.

- 6. (1) The State Government shall, by notification, establish an Authority by the name of the Uttar Pradesh Disaster Management Authority with effect from such date as may be specified in the notification.
 - (2) The Authority shall be a body corporate.
- (3) The headquarters of the Authority shall be at such place as the State Government may, by notification specify

- (4) The Authority may, with the approval of the State Government, establish offices at such other places within or outside the State as the Authority thinks fit.
- 7. (1) The Authority shall consist of Chairperson and not more than fourteen other members as follows, namely:-

Constitution of Authority

- (a) the Chief Minister of Uttar Pradesh, who shall be the Chairperson;
- (b) two Ministers nominated by the Chief Minister, Uttar Pradesh
- (c) the Chief Secretary of the State
- (d) Principal Secretary & Agriculture Production Commissioner;
- (e) Principal Secretary (Revenue)
- (f) Principal Secretary (Finance)
- (g)Principal Secretary (Home)
- (h) Principal Secretary (Energy)
- (i)Principal Secretary (Urban Development)
- (j)Principal Secretary (Health)
- (k) Any other Secretary to be co-opted from time to time
- (1) Director General of Police
- (m)Relief Commissioner, who shall be the Convener / Secretary of the Authority;

Provided that when a proclamation made under Article 356 of the Constitution is in force in the State, the Central Government may appoint three persons, in place of the Chief Minister and Ministers, to be the Chairperson and members of the Authority and the persons so appointed shall vacate their office upon the revocation or cease of operation of such proclamation.

- (2) The members of the Authority shall hold office during the pleasure of the State Government and shall receive such remuneration as may be prescribed.
- 8. (1) The Authority shall meet at such times and places and shall, subject to the provisions of subsection (2), observe such rules of procedure in regard to the transaction of its business at its meetings (including quorum at such meetings) as may be provided by the regulations.

Meetings of the Authority

- (2) Every meeting shall be presided over by the Chairperson, if he is present at the time appointed for holding the same and, if the Chairperson is absent, by the senior Minister or in his absence, by the other Minister and, in absence of the Ministers, by such one of the members present as may be chosen by the meeting to be Chairperson for the occasion.
- (3) All the questions at a meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the members present and voting and, in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have and exercise a second or casting vote.
- (4) (a) Every member, who is, in anyway whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement, entered into or proposed to be entered into, by or on behalf of the Authority, shall disclose the nature of his concern or interest before or at a meeting of the Authority.
- (b) No member shall take any part in discussion, or vote on, any contract or arrangement entered into or to be entered into by or on behalf of the Authority if he is in anyway, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement:

Provided that a member shall not be deemed to beconcerned or interested as aforesaid by reason of his being a shareholder holding directly and indirectly in the aggregate less than two percent of the paid-up equity share capital of a company concerned or interested in any such contract or arrangement.

Proceedings presumed to be good and valid.

- 9. No act or proceeding of the Authority shall be invalid merely by reason of
 - (a) any vacancy therein or any defect in the constitution thereof, or
 - (b) any irregularity in its procedure not affecting the merit of the case.

Officers and employees of the Authority

- 10. (1) The State Government shall appoint an officer not below the rank of Secretary to Government to be the Chief Executive Officer of the Authority who shall perform such functions as are prescribed by regulations.
- (2) The Authority may appoint such other officers and employees subordinate to the Chief Executive Officer as it considers necessary for the efficient performance of its functions.
- (3) The Chief Executive Officer appointed under subsection (1) shall be entitled to receive such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed.
- (4) The officers and employees appointed under subsection (2) shall be entitled to receive such salaries and allowances and shall be governed by such terms and conditions of service as determined by the regulations.
- (5) The officers and employees of the Authority shall perform such functions as may be imposed upon them by a general or special order in writing issued by the Chief Executive Officer.

State Relief Commissioner

- 11. (1) The State Government may appoint for the whole State an officer not below the rank of Secretary to Government, to be the State Relief Commissioner.
- (2) The Commissioner shall perform such functions related to disaster management as are imposed on him by or under this Act:
- (3) The Commissioner shall be entitled to receive such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be prescribed.

CHAPTER VI

FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

Certain functions of Authority

- 12. (1) Subject to the provisions of this Act, the Authority shall be primarily responsible for promoting an integrated and coordinated system of disaster management including prevention or mitigation of disaster by the State, local authorities, stake holders and communities,
 - (2) The Authority shall-
 - (a) act as the central planning, coordinating and monitoring body for disaster management and post-disaster reconstruction, rehabilitation evaluation, and assessment;
 - (b) assist the State Government in formulation of policy relating to emergency relief notwithstanding that the implementation of emergency relief shall be the responsibility of the Revenue Department and other departments of the Government;
 - (c) inform the State Government and departments of Government on progress and problems in disaster management;
 - (d) promote general education and awareness on disaster management, emergency planning and response;
 - (e) and do matters incidental thereto.
- (3) The State Government, the District Magistrates, concerned officers of the State Government and the local authorities in the State shall give such assistance and support to the Authority in performing its functions as may be required by the Authority

Data Collection

- 13. (1) The Authority shall take reasonable steps to collect or cause to be collected data on all aspects of disasters and disaster management and analyze such data; and cause and conduct research and study relating to the potential effects of events that may result in disasters;
- (2) The Authority may, by notice in writing, require any person to provide such information as may be useful for the purpose of subsection (1) to the Authority within such period as may be specified in the notice.

- (3) The Authority shall ensure that any information furnished by a person under subsection (2) shall not be divulged except for the purpose of performing its functions under this Act.
- 14. The Authority shall act as a repository of information concerning disasters and disaster management, and shall-

Repository of information

- (a) establish an institute;
- (b) ensure the establishment of communication links and setting up of emergency communication and early warning systems in the State;
- (c) maintain database of information required for the disaster management operations;
- (d) ensure establishment of communication links with disaster management agencies in India and other countries, including institutions performing functions similar to those of the Authority;
- (e) to exchange information, and to have access to international expertise on disaster management.
- 15. (1) The Authority shall develop or cause to be developed guidelines for the preparation of disaster management plans and strategies and keep them update and shall assist such departments of Government, local authorities and person, as may be specified by the Authority in preparation of plans and strategies and coordinate them.

Disaster management plans

- (2) The plan preparing authority while preparing the plan under subsection (1) shall make suitable provisions in the plan after considering the following, namely:
 - (a)the types of disaster that may occur and their possible effects;
 - (b) the communities and property at risk;
 - (c) provision for appropriate prevention and mitigation strategies;
 - (d) inability to deal with disasters and promote capacity building;
 - (e) the integration of strategies for prevention of disaster and mitigation of its effects with development plans, programmes and such other activities in the State:
 - (f) provision for assessment of the nature and magnitude of the effects of a disaster;
 - (g) contingency plans including plans for relief, rehabilitation and reconstruction in the event of a disaster, providing for -
 - (i) allocation of responsibilities to the various stakeholders and coordination in carrying out their responsibilities;
 - (ii) procurement of essential goods and providing essential services;
 - (iii) establishment of strategic communication links;
 - (iv) dissemination of information; and
 - (v) other matters as may be provided for in the regulations.
 - (h) any other matter required by the Authority.
- (3) The Authority shall prepare, or cause to be prepared, and maintain a master plan for the State.
- 16. (1) The Authority shall promote or cause to be promoted awareness and preparedness and advise and train the community, and stakeholders with a view to increasing capacity of the community and stakeholders to deal with potential disasters by—

Awarences and preparedness

- (a) publishing guidelines and recommendations in this behalf;
- (b) facilitating access to its electronic database;
- (c) promoting disaster management capacity-building and training programmes amongst communities and other stakeholders;
- (d) assisting in the development of methodologies for reduction of vulnerability of disasters;

- (e)coordinating the integration of methodologies for awareness and preparedness with development plans, programmes and such other activities; and
 - (f) acting in any other manner as it deems fit in this behalf.
- (2) The Authority shall formulate such policy relating to mechanisms for risk transfer including insurance for disaster preparedness as it deems necessary and implement the same or cause to be implemented.

Recommendations to be made to the appropriate authority

- 17. (1) The Authority may recommend the appropriate authority to take into consideration the matters to be specified by the authority for mitigation of a disaster while preparing new plans.
- (2) The Authority may inspect existing development plans made by the appropriate authority and may recommend the appropriate authority to vary the plan after considering matters for mitigation of disaster specified by the authority.
- (3) The Authority may inspect the quality of construction of any building or structure in any local area in the State and where the Authority is of the opinion that the quality of construction of such building or structure is such that it may result in loss of life or damage to any property if a disaster occurs, it may recommend the local authority to take such action as may be necessary under the law to avoid such a consequence.

Relief

- 18. (1) The Authority shall assist the State Government in formulating policies relating to relief activities.
- (2) Where the Authority is of the opinion that the relief provided by the Commissioner or the District Magistrates is not adequate the Authority shall recommend the Government to modify the norms followed by the Commissioner or the District Magistrate and, where necessary, recommend other relief measures.

Rehabilitation and reconstruction

19. On the expiry of a disaster declaration, the Authority shall, where necessary, act as an agency for facilitating and coordinating rehabilitation and reconstruction activities by departments of the Government.

· CHAPTER VII

POWERS AND FUNCTIONS OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Powers and functions of the Chief Executive Officer

- 20. (1) The Chief Executive Officer shall exercise and perform the following powers and functions, namely:-
 - (a) coordinate and monitor activities relating to prevention and mitigation of disasters, including capacity-building;
 - (b) coordinate and monitor rehabilitation and reconstruction activities;
 - (c)monitor the progress of the preparation and updating of disaster management plans and coordinate the implementation of such plans;
 - (d)prepare and submit periodically a report to the Authority on the activities undertaken by the Authority;
 - (e) delegate his powers and functions to officers and employees of the Authority
 - (f) to exercise such powers and perform such functions as may be delegated by the Authority; and
 - (g) to exercise such other powers and perform such other functions as may be specified by the regulations.

CHAPTER - VIII

POWERS AND FUNCTIONS OF THE STATE RELIEF COMMISSIONER

Emergency Relief

21. (1) During the period an area is an affected area, the Commissioner may issue directions to the District Magistrate and the local authority having jurisdiction over the affected area to provide emergency relief in accordance with disaster management plans.

- (2) For the purpose of -
 - (a) assisting and protecting the community;
 - (b) providing relief to the community;
 - (c) preventing or combating disruption; or
- (d) dealing with the destructive and other effects of the disaster, the Commissioner may-
 - (i) make arrangements for release and use of available resources;
 - (ii) control and restrict vehicular traffic to, and from and within the affected area;
 - (iii) control and restrict the entry of any person into, movement within and departure from an affected area
 - (iv) remove debris;
 - (v) conduct search and rescue operations;
 - (vi) make arrangements for the disposal of the unclaimed dead body;
 - (vii) provide alternative shelter;
 - (viii) provide food, medicines and other essentials;
 - (ix) require experts and consultants in the fields relevant to the disaster to provide relief under his direction and supervision;
 - (x) procure exclusive or preferential use of amenities as and when required;
 - (xi) to take possession and make use of any property, vehicles, equipment, buildings and means of communication on such terms and conditions as may be prescribed,
 - (xii) construct temporary bridges or other necessary structures;
 - (xiii) demolish unsafe structures which may endanger the public;
 - (xiv) ensure that non-governmental organizations carry out their activities in an equitable manner;
 - (xv) disseminate information to the public to deal with the disaster;
 - (xvi) evacuate any population from any affected area for the purpose of preservation of life and for such evacuation use such force as may be necessary; and
 - (xvii) authorize any person, to make any entry into any place, to open or cause to be opened, any door, gate or other barrier, if he considers such an action is necessary for preservation of life and property, if the owner or occupier is absent, or being present, refuses to open such door, gate or barrier.
- (3) The Commissioner may issue such directions to any person or government agency and take such other steps as may be necessary to curtail the escalation of the disaster or to alleviate, contain or minimise the effects of disaster.
- (4) The Commissioner shall keep the Authority informed of the actions taken by him generally for providing relief and particularly under sub-sections (1) to (3).
 - 22. (1)The Commissioner shall -

Other functions of Commissioner

- (a) provide inputs to the Authority relating to various aspects of disaster management, such as early warnings and status of preparedness;
- (b) develop an appropriate relief implementation strategy for the State in consultation with the Authority, taking into account the unique circumstances of each district and deficiency in institutional capacity and resources of the State:
- (c) prepare, review and update state level emergency plans and guidelines and ensure that the district level plans are prepared, revised and updated;

- (d) reassess from time to time contingency plans related to disaster management;
 - (e) ensure that disaster management drills are carried out periodically; and
- (f) ensure that communication systems are in order, and contingency plans provide for maximum involvement of local agencies;
- (g) exercise such powers and perform such functions as may be delegated by the Authority;
- (h) exercise such other powers and perform such other functions as may be specified by the regulations.

CHAPTER IX

POWERS AND FUNCTIONS OF THE DISTRICT MAGISTRATE

- 23. (1) During the period an area is an affected area the District Magistrate may issue directions to the officers of the departments of the Government and the local authority in the affected area, to provide emergency relief in accordance with the disaster management plans.
 - (2) The District Magistrate may-
 - (i) make arrangements for release and use of available resources;
 - (ii) control and restrict traffic to, from and within the area affected by a disaster:
 - (iii) control and restrict the entry into, movement within and departure from any disaster area or part of it:
 - (iv) remove debris;
 - (v) conduct search and rescue operations;
 - (vi) make arrangements for the disposal of the unclaimed dead body, by appropriate means;
 - (vii) provide alternative shelter;
 - (viii) provide food, medicines and other essentials;
 - (ix) require experts and consultants in the matters relevant to the disaster to provide relief under his direction and supervision;
 - (x)to take possession and make use of any property, vehicles, equipment, buildings and means of communication on such terms and conditions as may be prescribed.
 - (xi) procure exclusive or preferential use of amenities as and when required;
 - (xii) construct temporary bridges or other structures;
 - (xiii) demolish unsafe structures which may endanger the public;
 - (xiv) coordinate with non-governmental organizations and ensure that such entities carry out their activities in an equitable manner;
 - (xv) disseminate information to the public to deal with the disaster;
 - (xvi) direct and compel evacuation, of all or part of the population from any affected area for the purpose of preservation of life and for such evacuation, and for such evacuation use such force as may be necessary;
 - (xvii) authorize any person, to make any entry into any place, to open or cause to be opened, any door, gate or other barrier, if he considers such an action is necessary for preservation of life and property, if the owner or occupier is absent, or being present, refuses to open such door, gate or barrier;

- (3) The District Magistrate may exercise the powers contained in subsection (2) to the extent only that this is necessary for the purpose of
 - (a) assisting and protecting the community;
 - (b) providing relief to the community;
 - (c) preventing or combating disruption; or
 - (d) dealing with the destructive and other effects of the disaster.
- (4) The District Magistrate may issue such directions to any person or government agency and take such other steps, as may be necessary to curtail the escalation of the disaster or to alleviate, contain or minimize the effects of disaster.
 - 24. (1) District Magistrate shall, -
 - (a) ensure that actions for prevention of a disaster or mitigation of its effects or preparedness to cope up with such effects are carried out in accordance with guidelines as may be prescribed;
 - (b) provide inputs to Authority relating to various aspects of disaster management, such as early warnings and status of preparedness;
 - (c) ensure that officials in the district acquire the knowledge to deal with disaster management;
 - (d) ensure that district disaster management plans are prepared, revised and updated;
 - (e) facilitate and, coordinate with, local Government bodies to ensure that pre-disaster and disaster management activities in the district are carried out;
 - (f) facilitate community training, awareness programmes and the installation of emergency facilities with the support of local administration, non-governmental organizations, and the private sector;
 - (g) establish inter-department coordination on matters related to disaster management;
 - (h) review emergency plans, contingency plans and guidelines;
 - (i) ensure that local authorities in the district are involved in developing their own mitigation strategies;
 - (j) ensure linkage between disaster management activities and planning;
 - (k) ensure that communication systems are in order;
 - (1) ensure that fire fighting equipments and other equipments related to disaster management are so maintained as to be ready for use;
 - (m) coordinate the activities of reconstruction and rehabilitation in the district;
 - (n) ensure that disaster management drills are carried out periodically;
 - (o) assist the Authority in monitoring the progress and outcome of efforts for reconstruction and rehabilitation
 - (p) exercise such powers and perform such functions as may be delegated by the State Government, the Authority and the Commissioner;
 - (q) exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed.

CHAPTER X

FUNCTIONS OF LOCAL AUTHORITIES

- 25. (1) For the purpose of disaster management, local authority shall, subject to such directions as the Authority may give and under the supervision of the District Magistrate-
 - (a) assist the Authority, the Commissioner and the District Magistrate;
 - (b) ensure that the staff of the local authority is trained;

- (c) ensure that all resources related to disaster management are so maintained as to be ready for use;
- (d)ensure that all buildings and other structures in the local area comply with the specifications laid down in this behalf by the departments of Government and the Authority;
- (e) carry out relief operations in the affected area subject to directions of the Commissioner;
- (f) carry out reconstruction and rehabilitation activities in accordance with the guidelines framed by the Authority;
 - (g) prepare a disaster management plan setting out the following, namely:-
 - (i) the manner in which the concept and principles of disaster management are to be applied in local area;
 - (ii) role and responsibilities of the local authority in the terms of the disaster management plan of the State;
 - (iii) capacity of the local authority to fulfill its role and responsibilities;
 - (iv) particulars of disaster management strategies; and
 - (v) contingency strategies and emergency procedures in the event of a disaster, including measures to finance the strategies.
- (h) coordinate the preparation and the implementation of plan with those of the organizations of the State and stakeholders;
 - (i) regularly review and update the plan.
 - (i) conduct disaster management drills periodically; and
- (k) provide such assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate and take such other steps as may be necessary for disaster management.
- (2) Each local authority shall submit to the Authority and the Commissioner a copy of its disaster management plan proposed under sub-section (1) and any amendment thereto.
- 26. (1) Each department of the Government in a district shall prepare a disaster management plan for the district and the District Magistrate shall ensure that such plans are integrated into the disaster management plan for the whole of the district.
- (2) The department of Government while preparing a plan under subsection (1) -
 - (a) anticipate the types of disaster that may occur in the district and their possible effects;
 - (b) identify the communities and property at risk;
 - (c) provide for appropriate prevention and mitigation strategies;
 - (d) identify the inability to deal with possible disasters and promote capacity building;
 - (e) facilitate maximum emergency preparedness; and
 - (f) keep contingency plans and prescribed emergency procedures in the event of a disaster, providing for,-
 - (i) allocation of responsibilities to the various stakeholders and coordination in the carrying out of their responsibilities:
 - (ii) prompt disaster response and relief;
 - (iii) procurement of essential goods and the providing of essential services;
 - (iv) establishment of strategic communication links;
 - (v) the dissemination of information; and

- (vi) such other matters as may be provided for in the regulations and any other matters required by the District Magistrate.
- (3) A department of the Government in the district shall subject to the supervision of the District Magistrate -
 - (a) prepare a disaster management plan setting out the following, namely:-
 - (i) the manner in which the concept and principles of disaster management are to be applied in the district;
 - (ii) role and responsibilities of the department of Government in terms of the disaster management plan of the State;
 - (iii) role and responsibilities of the department of Government regarding emergency relief and post disaster recovery and rehabilitation;
 - (iv) capacity of the department of Government to fulfill its roles and responsibilities;
 - (v) particulars of disaster management strategies; and
 - (vi) contingency strategies and emergency procedures in the event of a disaster, including measures to finance the strategies;
 - (b) coordinate the preparation the implementation of its plan with those of other organizations of the State, communities and other stakeholders;
 - (c) regularly review and update the plan; and
 - (d) submit a copy of its disaster management plan, and of any amendment thereto to the Deputy Commissioner.
- (4) The District Magistrate shall submit a copy of the district disaster management plan, and of any amendment thereto to the Authority and the Commissioner.
- (5) Each department of the Government shall be responsible for effective implementation of the plans drawn up in this behalf.

CHAPTER XI

DUTIES OF POLICE FORCE, HOME GUARDS, CIVIL DEFENCE AND FIRE SERVICES

- 27. (1) Where an area is declared under clause (a) of sub-section (2) of section 32 as an affected area, the members of—
 - (a) police force,
 - (b) home guards,
 - (c) civil defense, and
 - (d) fire services.

shall perform the following functions under the supervision of the Commissioner and the District Magistrate, namely:-

- (i) giving of warning;
- (ii) carrying out search and rescue operations, and
- (iii) carrying relief and rehabilitation operations.
- (2) If a disaster occurs in any area, the senior most officer from amongst the members of organizations specified in clauses (a) to (e) and of a local authority and department of the Government in such area shall report to the District Magistrate and carry out any instructions which the District Magistrate may issue for providing emergency relief.

- (3) The department of the Government in the State shall generally carry out the functions specified in its disaster management plan as directed by the District Magistrate and in particular-
 - (a) ensure that the communication system is in order, which shall be made available, free of charge, for being used for transmission and receipt of messages in connection with a disaster;
 - (b) identify the personnel and provide adequate training for the purposes of disaster management so that the services of such personnel are readily available;
 - (c) conduct disaster management drills periodically and;
 - (d) provide such assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate and take such other steps as may be necessary for disaster management.

CHAPTER XII

DUTIES OF COMMUNITIES, PRIVATE SECTOR ENTERPRISES AND OTHER AGENCIES OR PERSONS

- 28. Each community group and each youth organization such as the National Cadet Corps, National Service Scheme, Nehru Youth Kendra may-
 - (a) assist the State Government, the Authority, the Commissioner and the District Magistrate in all disaster management activities;
 - (b) participate in capacity-building, vulnerability reduction programmes and training activities;
 - (c) assist in relief operations under the supervision of the Commissioner and the District Magistrate,
 - (d) assist in conducting detailed damage assessment and in carrying out reconstruction and rehabilitation activities in accordance with the guidelines framed by the Authority; and
 - (e) provide such assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate and take such other steps as may be necessary for disaster management.
- 29. (1) Each Factory as defined under the Factories Act 1948, shall-
 - (a) assist the State Government, the Commissioner and the District Magistrate in all disaster management activities;
 - (b) ensure that their staff are adequately trained;
 - (c) ensure that all necessary resources are in a ready-to-use state;
 - (d) ensure that its buildings and other structures are in compliance with all specifications stipulated by the departments of the Government and the Authority;
 - (c) carry out relief operations under the supervision of the Commissioner and the District Magistrate;
 - (f) assist in conducting damage assessment and in carrying out reconstruction and rehabilitation activities in accordance with the guidelines framed by the Authority;

- (g) prepare a disaster management plan in conformity with the other disaster management plans of local authorities, departments of Government having regard to the guidelines laid down in this behalf by the Authority;
- (h) take all other steps and provide such assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate and take such other steps as may be necessary for disaster management.
- (2) Each factory shall be responsible for effective implementation of the plan drawn up by it in this behalf.
- (3) Each private and public sector entity shall provide assistance to the Authority, the Commissioner, the District Magistrate and take such other steps as may be necessary for disaster management.
- 30. All voluntary agencies, including non-governmental organizations, which desire to participate in disaster management activities may,-
 - (a) participate in capacity-building, vulnerability reduction programmes and training activities;
 - (b) assist in relief operations under the supervision of the Government, the Commissioner and the District Magistrate
 - (c) assist in assessing damage and in carrying out reconstruction and rehabilitation activities in accordance with the guidelines framed by the Authority;
 - (d) provide such assistance to the Authority, the Commissioner and the District Magistrate as may be necessary for effective disaster management.
- 31. It shall be the duty of every citizen to assist the Commissioner, the District Magistrate or such other person entrusted with or engaged in disaster management whenever his aid is demanded generally for the purpose of disaster management and particularly for the following purposes, namely:-
 - (a) prevention,
 - (b) response,
 - (c) warning,
 - (d) emergency operation,
 - (e) evacuation, and
 - (f) recovery.

CHAPTER XIII

DECLARATION OF AREA AS DISASTER PRONE AREA OR DISASTER AFFECTED AREA

- 32. (1) Where there is threat of an impending disaster or where a disaster has occurred-
 - (a) in an area spread over more than one district, the Commissioner, and
 - (b) in an area restricted to a district, the District Magistrate may immediately make a report to that effect to the State Government.
- (2) (a) If the State Government, on the report of the Commissioner or of the District Magistrate under sub-section (1) or otherwise, is of the opinion that there is a threat of an impending disaster or that a disaster has occurred in an area of the State and that it is expedient, for the purposes of preventing such disaster or of coping with its effects, it may, by notification published in the Official Gazette and in any one or more newspapers having widest circulation in the area, declare such area to be disaster prone area or disaster affected area (hereinafter in this section referred to as "the affected area").
- (b) Where the State Government decides not to make declaration under clause (a), it shall send a communication accordingly to the Commissioner or, as the case may be, the District Magistrate.

(3) A notification issued under section (2) in respect of an area shall specify the period not exceeding fifteen days during which the area shall, for the purposes of this Act, be the affected area:

Provided that the State Government may extend such period from time to time by any period not exceeding fifteen days at any one time, if the State Government, having regard to a report made in that behalf by the Commissioner or, as the case may be, the District Magistrate or otherwise, is of the opinion that it is expedient to do so.

- (4) During the period an area is an "affected area"-
- (a) the Authority shall perform or cause to be performed in such area functions related to-
 - (i) prevention of disaster or
 - (ii) (a) mitigation of effects of disaster,
 - (b) facilitating, coordinating and monitoring emergency relief, and
 - (c) monitoring and coordinating reconstruction and rehabilitation and,

such other functions as are prescribed by or under this Act or as are supplemental, incidental or consequential to the aforesaid functions,

- (b) Where the affected area is spread over more than one district, the Commissioner and where the affected area is restricted to a district, the District Magistrate shall perform such of the functions related to disaster management as are imposed on him by or under this Act,
- (5) (a) Where the Commissioner or the District Magistrate makes a report under sub-section (1), he shall commence performing the necessary functions imposed on him by or under this Act from the time he makes a report and
 - (b) he shall cease to perform the functions-
 - (i) where an area is declared under clause (a) of subsection (2) as the affected area for the period specified under subsection (3), on the expiry of such period, or
 - (ii) Where such period is extended from time to time under the proviso in the said subsection (3), on the expiry of the period last extended or
 - (iii) where an area is not so declared, on the receipt of a communication to that effect from the State Government under clause (b) of subsection (2).
- (6) The Authority, the Commissioner, the District Magistrate and all other agencies, shall cease to perform their functions in the affected area, on the expiry of the period referred to in sub-clause (i) or (ii) of clause (b) of subsection (5).

CHAPTER XIV

FINANCE, ACCOUNTS, AUDIT AND REPORTS

- 33. (1) The Authority shall have its own fund called the Disaster Management Fund and all receipts of the Authority shall be carried thereto and all payments by the Authority shall be made there from.
- (2) The Authority may accept grants, subventions, donations and gifts from the Central or State Government or a local authority or any individual or body, whether incorporated or not, for the purposes of this Act.
 - (3) The moneys from the fund may be applied in payment of-
 - (i) expenses incurred by the Authority in performing its functions under this Act,
 - (ii) remuneration to members,
 - (iii) salaries and allowances to officers and employees of the Authority,
 - (iv) expenses for such other purposes of the Act as may be prescribed.

- (4) (a) All moneys belonging to the fund of the Authority shall be deposited in such bank as the State Government may, by general or special order, direct.
- (b) Where the amount in the fund is not required to be applied immediately or at an early date for the purposes of this Act, it may be invested in any of the securities specified in clause (a), (b), (bb), (c) or (d) of section 20 of the Indian Trusts Act, 1882.
- (c) Any interest earned on such deposits and investments shall be credited to the fund.
- 34. The Authority may, with the previous approval of the State Government, borrow money in the open market or otherwise for the purpose of carrying out its functions under this Act.
- 35. (1) (a) The Authority shall, by such date in each year as may be prescribed, submit to the State Government for approval a budget in the prescribed form for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure, and the sums which would be required from the State Government during that financial year.
- (b) If any sum granted by the State Government remains wholly or partly unspent in any financial year, the unspent sum may be carried forward to the next financial year and taken into account in determining the sum to be provided by the State Government for that year.
- (2) No sum shall be expended by or on behalf of the Authority unless the expenditure is covered by provision in the budget approved by the State Government.
- 36. (1) The accounts of the Authority shall be prepared and maintained in such form and manner as may be prescribed.
- (2) The Authority shall cause to be prepared for each financial year an annual statement of accounts in such form as may be prescribed.
- (3) The accounts of the Authority shall be audited by an auditor duly qualified to act as an auditor of companies under section 226 of the Companies Act, 1956.
 - (4) The said auditor shall be appointed by the Authority.
- (5) Every auditor appointed to audit the accounts of the Authority under this Act shall have a right to demand the production of books of accounts, connected vouchers and other documents and papers, to inspect the offices of the Authority and to require such information from the Authority as he may think necessary for performance of his duty as an auditor.
- (6) The auditor shall send a copy of his report together with an audited copy of accounts to the Authority which shall, as soon as may be after the receipt of the audit report, forward the same to the State Government.
- (7) The State Government shall, as soon as may be after the receipt of the audit report under sub section (6), cause the same to be laid before the State Legislature.
- 37. (1) The Authority shall, once in every year, prepare in such form and at such time of the year as may be prescribed,-
 - (a) an annual report giving a full, true and fair account of its activities during the previous year and
 - (b) programme of work likely to be undertaken by the Authority in the next year,
 - and a copy of such report shall be forwarded to the State Government.
- (2) The State Government shall, as soon as may be after the receipt of the annual report under sub-section (1), cause the same to be laid before the State Legislature.
- (3) In addition, the accounts of the Authority shall also be subject to audit by the Accountant General, Uttar Pradesh.

CHAPTER XV OFFENCES AND PENALTIES

38. (1) whoever -

- (a) without reasonable cause prevents or obstructs any officer of the State Government or of local authority or of the Authority or the Commissioner or the District Magistrate from carrying out functions under this Act; or
- (b) without reasonable cause refuses to comply with the direction given by an officer of the State Government or the Authority or the Commissioner or the District Magistrate while carrying out his functions under this Act; or
- (c) falsely predicts the occurrence of a disaster without any scientific basis and thereby creates panic in the community; or
- (d) makes a false claim for assistance for reconstruction or repair from any Officer of the State Government or Authority or the Commissioner or the District Magistrate, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to tenthousand rupees or with both.
- 39. (1) No Magistrate shall take cognizance of an offence under section 38 except on a complaint in writing made by an Officer of the Authority generally or specially authorized in this behalf or the Commissioner or the District Magistrate.
- (2) Notwithstanding anything contained in section 200 of the Code of Criminal Procedure 1973 it shall not be necessary in respect of the offence referred to in subsection (1) to examine the authorized officer of the Authority the Commissioner or the District Magistrate when the complaint is presented in writing.
- 40. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence is committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation - For the purpose of this section -

- (a) "company" means a body corporate and includes a company as defined under the Companies Act, 1956, a firm or other association of individuals; and
 - (b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

CHAPTER XVI

MISCELLANEOUS

- 41. (1) The Chief Executive Officer, the Commissioner or the District Magistrate, generally or specially authorized by the State Government in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land and there do such things as may be reasonably necessary for the purpose of lawfully performing functions imposed upon them by or under this Act.
- (2) Any officer or employee of the Authority, generally or specially authorized by it in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land and there do such things as may be reasonably necessary for the purpose of lawfully carrying out any of the functions imposed upon him under this Act.

- 42. (1) The Authority may, by a general or special order in writing, delegate to the Chief Executive Officer, the Commissioner, the District Magistrate or any other officer such of its functions under this Act as may be specified in the order.
- (2) The Authority may, by a general or special order in writing, form one or more committees consisting of its members and delegate to such committee such of the functions of the Authority as may be specified in the order.
- (3) The Commissioner may, by an order in writing, delegate to any person such of the functions imposed on him by or under this Act as may be specified in the order.
- (4) The District Magistrate may, by an order in writing, delegate to the Additional District Magistrate or any other person such of the functions imposed on him by or under this Act as may be specified in the order.
- (5) An order under sub-section (1), (3) or (4) may specify the conditions subject to which the functions specified therein may be performed.
- 43. (1) In the performance of its functions under this Act, the Authority shall be bound by such directions on questions of policy as the State Government may give in writing to it from time to time:

Provided that the Authority shall be given an opportunity to express its views before any direction is given under this subsection.

- (2) The decision of the State Government, whether a question is one of policy or not, shall be final.
- 44. (1) The Authority, the Commissioner or the District Magistrate for the purpose of performing functions under this Act and for reasons to be recorded in writing issue an order directing a person to do or abstain from doing a specified thing with in the affected areas in which the emergency relief measures are being undertaken.
 - (2) Any person on receipt of such order shall comply with the same.
- 45. Every member, the Chief Executive Officer, the Commissioner and every officer and employee of the Authority shall, when acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or of any rule or regulation made there under, be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
- 46. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Authority or any member or officer or employee of the Authority or the Chief Executive Officer, the Commissioner or the District Magistrate for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or of any rule or regulation or order made there-under.
- 47. (1) The Authority may, with the previous approval of the State Government, by notification make regulations not inconsistent with the Act and the rules made there under, for enabling it to perform its functions under this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may be made to provide for all or any of the matters expressly required or allowed by this Act to be specified by regulations
- 48. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under subsection (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.
- 49. The Authority, its officers and employees, the Chief Executive Officer, the Commissioner and the District Magistrate shall perform functions imposed by or under this Act in addition to and not in derogation of functions performed by the State Government or any of its officers in pursuance of the provisions of any law for the time being in force or in exercise of the executive powers of the State for the prevention of occurrence of disasters, mitigation of effects of disasters, facilitating, coordinating and monitoring emergency relief and monitoring and coordinating measures for reconstruction and rehabilitation in the aftermath of the disasters in the State or in relation thereto.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to promoting an integrated and coordinated system of disaster management including prevention of disaster by the State, local authorities, stakeholders and community it has been decided to make a law to provide for the establishment of an Authority to act as the central planning, coordinating and monitoring body for disaster management and post disaster reconstruction, rehabilitation, evaluation and assessment, to assist the State Government in formulation of policy relating to emergency relief, to inform the State Government and its departments on progress and problems in disaster management and to promote general education, capacity building and awareness on disster management, emergency planning and response and for matters connected therewith or incident thereto.

The Uttar Pradesh Disaster Management Bill, 2005 is introduced accordingly.

By order, D. V. SHARMA Pramukh Sachiv